विद्यार्थी मार्गदर्शिका

2018 - 19
&
2019 - 20

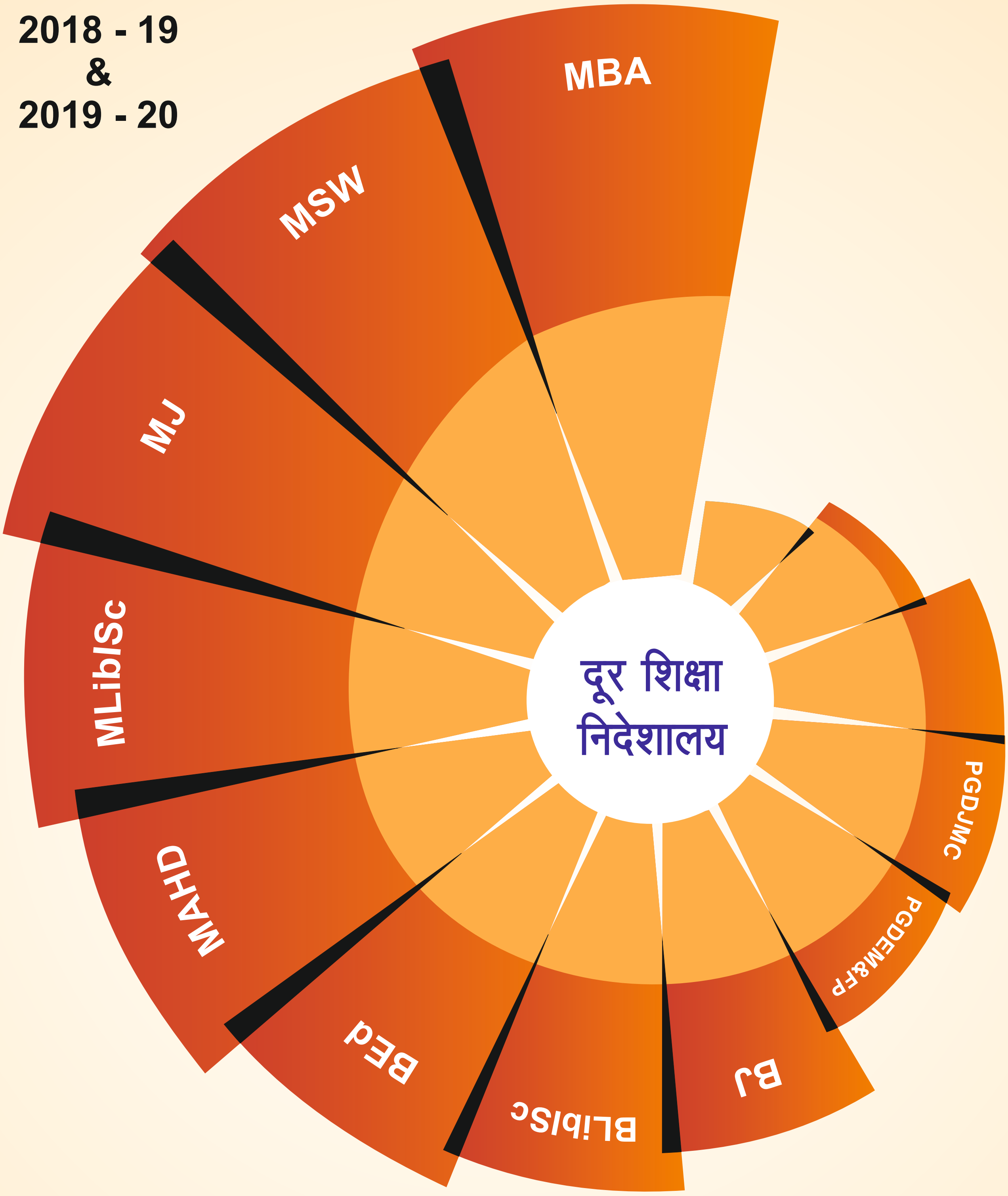

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

नैक (NAAC) द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त

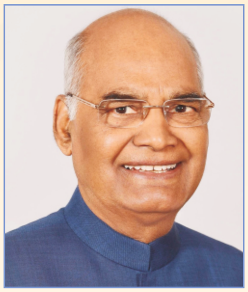

श्री राम नाथ कोविंद
कुलाध्यक्ष एवं भारत के राष्ट्रपति

प्रो. कमलेश दत्त त्रिपाठी
मा. कुलाधिपति

प्रो. गिरीश्वर मिश्र
मा. कुलपति

प्रो. आनंद वर्धन शर्मा
मा. प्रतिकुलपति

अकादमिक सदस्य, दूर शिक्षा निदेशालय

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	निदेशक
2	प्रो. संतोष कुमार भदौरिया	प्रोफेसर (संप्रति प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र, इलाहाबाद)
3	डॉ. रविन्द्र टी. बोरकर	क्षेत्रीय निदेशक/एसो. प्रोफेसर
4	डॉ. शंभू जोशी	सहायक प्रोफेसर
5	डॉ. अमित राय	सहायक प्रोफेसर
6	डॉ. अमरेन्द्र कुमार शर्मा	सहायक प्रोफेसर
7	श्री संदीप सपकाले	सहायक प्रोफेसर
8	डॉ. शैलेश मरजी कदम	सहायक प्रोफेसर
9	डॉ. परिमल प्रियदर्शी	अनुसंधान अधिकारी
10	डॉ. पुरन्दर दास	अनुसंधान अधिकारी

प्रशासनिक सदस्य, दूर शिक्षा निदेशालय

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	डॉ. एम.एम. मंगोड़ी	क्षेत्रीय निदेशक
2	श्री विनोद वैद्य	सहायक कुलसचिव
3	श्री अरविंद कुमार	तकनीकी सहायक (मास–मीडिया)
4	सुश्री शिल्पा मसराम	नि.श्रे.लि.
5	श्री राम कनौरिया	एम.टी.एस.

अनुक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	पृष्ठ
1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (DEB) का मान्यता पत्र	01
2	बीएड पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) का मान्यता पत्र	04
3	बीएड पाठ्यक्रम के लिए महाराष्ट्र शासन का मान्यता पत्र	07
4	कुलपति का संदेश	09
5	निदेशक का वक्तव्य	10
6	निदेशालय का परिचय	11
7	पारिभाषिकी	12
8	अकादमिक कैलेंडर	14
9	संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण	16
10	व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (MBA)	17
11	समाजकार्य में स्नातकोत्तर (MSW)	19
12	पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (MJ)	19
13	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर (MLibISc)	20
14	एमए हिंदी (MAHD)	20
15	शिक्षा - स्नातक (BEd)	21
16	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (BLibISc)	23
17	पत्रकारिता में स्नातक (BJ)	23
18	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन एवं फिल्म प्रोडक्शन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDEM&FP)	23
19	पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDJMC)	24
20	शुल्क सारिणी	24
21	महत्वपूर्ण निर्देश	25
22	अभ्यास केंद्रों की सूची	32
23	प्रवेश, परीक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण आवेदन पत्र	

www.ugc.ac.in/deb

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
DISTANCE EDUCATION BUREAU
35-FEROZE SHAH ROAD
NEW DELHI-110 001

F.No. UGC/DEB/MGAHV/WDA/MAH/2016 **Dated: September, 2016**

06 SEP 2016

The Registrar,
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi
Vishwavidyalaya, Wardha,
Gandhi Hill Po-Hindi Vishwavidyalaya
Wardha-442005
Maharashtra.

Sub: *Recognition for offering programmes in Open & Distance Learning (ODL)mode from academic year 2016-17 - regarding.*

Sir/Madam,

This is in reference to your proposal submitted for consideration of recognition in response to UGC letter no12-3/2016 (DEBIII) dated 21.03.2016 and subsequent interface meeting attended by your University/Institutions. In this regard, I am directed to inform that it has been decided to accord recognition to your institution to offer 8 programmes through distance mode for two academic years i.e. 2016-17 and 2017-18 subject to strict adherence and compliance of the conditions mentioned in this letter.

2 The university shall scrupulously abide by the following terms and conditions, while offering the programmes through distance learning mode in accordance with the Affidavit dated 21.06.2016., duly notarised and signed by Dr. Rajendra Prasad Mishra, Registrar of the University, submitted to the Commission vide letter dated 5.7.2016.

3 The recognition accorded to the institution will be valid only for the programmes/courses as mentioned in the list attached with this letter.

i) The University shall offer only those programmes through Open and Distance Learning (ODL) mode, which are approved by the statutory bodies of the University as per norms and also by UGC and wherever necessary by the apex regulatory bodies in the country.

ii) It is the responsibility of the University to follow the norms prescribed by the concerned regulatory body/ies such as UGC, AICTE, NCTE/any other and also seek its/their prior approval, wherever required.

iii) The University shall not start any new programme without prior approval of UGC and other concerned regulatory authorities in anticipation of recognition.

iv) The nomenclature of all the programmes to be offered under distance mode shall be strictly as per UGC/AICTE Regulations.

v) No teacher education programme shall be offered without prior approval of the NCTE (as per new NCTE regulations,2014)

vi) The Ministry of HRD's directions prohibiting B.E/ B.Tech through distance mode vide it's letter dated 29.07.2009 shall be adhered to strictly.

vii) The programmes in Engineering and Technology e.g. B.E/ B.Tech/ Diploma and courses in Medicines/ Nursing/ Physiotherapy etc. are not allowed and the Universitywill not be offering the same.

viii) The university shall refrain from offering such programmes that are not allowed to be offered, through distance mode by the respective apex body/ies.

ix) No online programme leading to award of Degree/ Certification shall be offered by the University, until a policy is framed and approved by UGC in this regard.

x) The minimum duration of a programme, offered in ODL mode shall not be less than the minimum duration of similar programme offered through the regular mode. nomenclature of programme and the minimum eligibility criteria for admission should be as per UGC norms and Regulations.

xi) The University shall run its ODL programmes only in those subjects/ fields which are offered by it through regular mode.

xii) The university shall have at least one full time faculty member exclusively for coordinating each programme at the headquarters

xiii) The eligibility conditions for admissions to each course to be offered through distance learning mode shall be as per norms of UGC/AICTE and other regulatory bodies.

xiv) The territorial jurisdiction in respect of University for offering programmes through distance mode will be as per the policy of UGC on territorial jurisdiction and opening of off campuses/centres/study centres as mentioned in the UGC notification No.F.27-1/2012(CPP-II), dated 27th June 2013, a copy of which is also posted on the UGC website www.ugc.ac.in/deb.

xv) The programmes in distance mode will not be offered through franchising arrangement and /or through any private institution /college

xvi) The Institution will have necessary infrastructure at its HQ as well as its Study Centres (if any) for conduction of practical work, wherever required.

4. Moreover, the University shall not offer any M.Phil/Ph.D Programme through distance learning mode in compliance to clause 5 of the UGC (Minimum Standard and Procedure for awards of M.Phil./Ph.D Degree), Regulation 2009.

Meenakshi

5. The Institution's management of the distance education programmes will be open for review and inspection by the UGC. The academic norms of the programmes shall be under monitoring by the concerned regulatory authorities.

6. It may also be noted that:

i) If the institution fails to comply with the conditions of recognition for which the Affidavit, as mentioned above has been submitted or if it is found conducting affairs in a manner that leads to deterioration of academic standards, the UGC may withdraw its recognition at any stage. The University will be solely responsible for the same.

ii) The recognition can be reviewed depending on change of policy w.r.t ODL Regulations or otherwise.

iii) In case any information, documentary evidence submitted/produced by the University/institution is found to be false or fake at a later stage, the recognition of University/institution shall be withdrawn and the University/Institution concerned shall be solely responsible for the all consequences arising out of the same.

Yours faithfully,

(Megha Kaushik)
Education Officer

Copy to:

1. The Principal Secretary, Technical and Higher Education Department, Government of Maharashtra, Mantralaya, Annex Building , Mumbai , Maharashtra-400032.
2. The Joint Secretary (HE/TEL), MHRD, Govt of India, ShastriBhawan, New Delhi – 110 001
3. The Member Secretary, AICTE, 7th floor, Chanderlok building, Janpath, New Delhi 110001
4. The Member Secretary, National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, New Delhi.
5. Publication Officer (Web), UGC for updating website.
6. Guard file.

(Shyam Singh)
Section Officer

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
पश्चिम क्षेत्रिय समिति

National Council For Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)
Western regional Committee

F.No. APP1506/217th/ B.Ed./2015 – 132047

Date: 28.02.2015

<u>TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART III SECTION 4</u>

<u>ORDER</u>

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section(2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993(73 of 1993), and in supersession of the National Council for Teacher Education [Recognition Norms and Procedure] Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 1.12.2014.

2. **AND WHEREAS,** the institution Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalay, Wardha (Central University), Plot Number: 18, Village: Umari, Post Office: Manas Mandir, Tehsil/City/District: Wardha: 442001, Maharashtra has by affidavit consented to come under new Regulations and sought recognition for a basic unit of B.Ed. (ODL) which require additional facilities.

3. **AND WHEREAS,** it has been decided to permit the institution to have one basic unit of 50 students subject to the institution fulfilling following conditions namely,

(i). The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adhere to staff norms as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by October 31, 2015.

(ii). The applicant-institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate(LUC) and the Building Plan(BP)in the specified Performa available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building Completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available; otherwise it can also be given to the Visiting team at the time of inspection.

(iii). The Regional Committees shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these conditions by 20 Feb, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2016-2017.

4. **Now therefore,** in the light of the above and in terms of Section 14(3) (a) of NCTE Act and in accordance with the Regulations, 2014, <u>the Western Regional Committee, NCTE hereby grants recognition to Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalay, Wardha (Central University), Plot Number: 18, Village: Umari, Post Office: Manas Mandir, Tehsil/City/District: Wardha: 442001, Maharashtra for conducting B.Ed. (ODL) programme of 2 years duration for an annual intake of 500 students for session 2015-2016 subject to the condition that one study centre shall enroll not more than 50 students in a given session</u> subject to fulfilment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.

5. Further, only the following category of institutions shall qualify to become a Study Centre:-

(a) Existing Teacher Education Institutions recognized by NCTE for offering the same programme in face-to-face mode and having all the requisite infrastructure and staff as per NCTE norms; institutions having offered the relevant teacher education course for at least last five years. Institutions declared as Study Centre for one course/programme by a University shall not be the Study Centres for any other programme of the same or any other University/Institution.

मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002 Manas Bhawan, Shyamla Hills, Bhopal-462002
दूरभाष/ Phone: 0755-2739672, 2660915, 2660379, 2660372 फेक्स/ Fax: 0755-2660912
Email: wrc@ncte-india.org Website : www.nctewrc.co.in
NCTE HQrs. Website : www.ncte-india.org

(b) (i) The number of students allotted to a Study Centre shall not exceed one hundred (50 for the first year and 50 for the second year), (ii) The Study Centre shall provide to the distance learners (allocated to it) access to its library, laboratories and other physical facilities, (iii) The Headquarters or the Regional Centre of the ODL institution may also function as a Study Centre at least for one hundred (50 first year and 50 second year) students.

(c) Teacher educators/supervisors/academic counsellors engaged for various activities of the Study Centre shall be fully qualified as per the NCTE norms.

(d) All the functionaries associated with the activities of the Study Centres must be oriented by the open university/institution in the practice of the ODL system from time to time, but at least once in a year.

(e) The request for additional unit of intake in any programme shall be examined by the NCTE on the basis of availability of required facilities in respect of study centres and related support in the territorial jurisdiction of the institution. Laid down procedures shall be followed for seeking recognition for additional intake.

6. Further, the recognition is subject to fulfilment of other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/Body, the State Government etc. as applicable.

7. The institution shall submit to the Regional Committee a Self- Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

8. The institution shall maintain & update its web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure:-

a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution:
b) Name of faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale of pay and photograph.
c) Name of faculty members who left or joined during the last, quarter:
d) Names of Students admitted during the current session along with qualification, Percentage of marks in the qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc.;
e) Fee charged from students;
f) Available infrastructural facilities;
g) Facilities added during the last quarter;
h) Number of books in the library, journals subscribed to and additions, if any, in the last quarter;
i) The affidavit with enclosure submitted along with application.
j) The institution shall be free to post additional relevant information. if it so desires.
k) Any false or incomplete information on website shall render the institution liable for withdrawal of recognition.
l) NCTE, New Delhi vide letter no. F.49-15/2013/NCTE/N&S dated 12th September, 2013 has granted relaxation to Central Universities under clause 12 of extent NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulation 2009 that the infrastructural requirements shall be fulfilled within a period of 3 years; provided adequate infrastructural arrangement is made on lease/rental basis as per be stipulations of NCTE, before approval.

   In case, at the end of 3 years all the criteria, as per the Rules and Regulations of the NCTE are not fulfilled, the Regional Committee would be at liberty to withdraw the recognition given to the respective Central Universities.

If the institution Contravenes any of the above conditions or the provision of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made and issued there under, the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition by the Regional Committee under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By Order,

(Sunil Shrivastava)
Regional Director

The Manager,
Government of India Press,
Department of Publications (Gazette Section),
Civil Lines, New Delhi – 110054.

To:

The Principal,
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalay,
Wardha (Central University),
Plot Number: 18, Village: Umari,
Post Office: Manas Mandir,
Tehsil/City/District: Wardha: 442001,
Maharashtra

Copy to:-

1. The Registrar, Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalay, Street - Gandhi Hills, Village -Umari, P.O. Manas Mandir, Tah/City/Dist.- Wardha - 442001, Maharashtra.
2. The Education Secretary, (Higher Education), Govt. of Maharashtra, Mantralaya, Mumbai, Maharashtra.
3. The Secretary, Dept. of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhavan, New Delhi – 110 001.
4. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, 1, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002.
5. The Computer Programmer, Computer Section, WRO, (NCTE), Bhopal with a request to include the name of the institution in the recognized list uploaded in WRC website.
6. Office Order file/institution file APP1506.

Regional Director

महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा या विद्यापीठातील B.Ed. (ODL) या पदवीस राज्यातील बी.एड पदवीशी समकक्षता प्रदान करण्याबाबत.

37

महाराष्ट्र शासन

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

शासन निर्णय क्रमांकः बीएड-४६१६/प्र.क्र.१८२/मशि-२

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
तारीख: ०७ एप्रिल, २०१८.

वाचा :-

१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.समक-१०९९/१३४/मशि-४, दिनांक १४ जून, १९९९.

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, परिपत्रक क्र.एसएसएन-२००५/(१२/२००५)/माशि-२, दिनांक ९ जून, २००५.

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.आरजीडी-१५११/प्र.क्र.८९/२०११/१३, दिनांक २३ ऑगस्ट, २०११.

४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.एसएसएन-२०११/(२९/११)/माशि-२, दिनांक २१ डिसेंबर, २०११.

प्रस्तावना :-

महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा हे विद्यापीठ संसदेने मंजुरी दिलेल्या "द महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ॲक्ट, १९९६ (१९९७ चा अधिनियम क्र.३)" अन्वये स्थापन झालेले विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पश्चिम क्षेत्रिय समिती, भोपाळ यांनी त्यांचे आदेश क्र.F.No.APP1506/217th/B.Ed./2015/132047, दिनांक २८.२.२०१५ अन्वये बी.एड (ओडीएल) या अभ्यासक्रमास मान्यता दिलेली आहे.

संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये केंद्रीय किंवा राज्य विधी मंडळाने अधिनियमाद्वारे भारतातील विद्यापीठाने दिलेल्या पदव्या/पदविका आणि संसदेने अधिनियमाद्वारे शैक्षणिक संस्था स्थापित केल्या आहेत किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घोषित केलेल्या मानीव विद्यापीठानी प्रदान केलेल्या पदवी/पदविकांना समकक्ष दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ, नवी दिल्ली, या विद्यापीठातून तसेच, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ, नाशिक या विद्यापीठातून पूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमास मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये विद्यापीठ अनुदान आयोग मान्यताप्राप्त विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, स्वायत्त संस्था व संस्था इत्यादींच्या विविध पदविका, पदवी व पदव्युत्तर पदव्यांना केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन विकास (शिक्षण विभाग) मंत्रालयाकडून, केंद्र शासनाच्या सेवेतील नियुक्तीसाठी वेळोवेळी प्रदान केलेली व भविष्यात प्रदान केली जाणारी समकक्षता राज्य शासनाच्या सेवेतील नियुक्तीसाठी ग्राह्य धरण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच,

संदर्भ क्र.४ येथील शासन परिपत्रकान्वये मौलाना आजाद उर्दु राष्ट्रीय विद्यापीठ, हैद्राबाद या विद्यापीठातून बी.एड (नियमित)/बी.एड (पत्रद्वारा) उर्दु माध्यम हा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या अर्हताप्राप्त शिक्षकांच्या नियुक्ती व पदोन्नतीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. या बाबी विचारात घेता, महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा या विद्यापीठातील B.Ed. (ODL) या पदवीस राज्यातील नियमित बी.एड पदवीशी समकक्षता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः-

महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा या संसदेने मंजुरी दिलेल्या "द महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ॲक्ट, १९९६ (१९९७ चा अधिनियम क्र.३)" अन्वये स्थापन झालेल्या विद्यापीठातील B.Ed. (ODL) या पदवीस सन २०१५-१६ पासून राज्यातील नियमित बी.एड पदवीशी समकक्षता प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०७१२३३०७४८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Hariram V Parhate

Digitally signed by Hariram V Parhate
Date: 2018.04.07 12:33:11 +05'30'

(ह. व्यं. पऱ्हाते)
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
२) शिक्षण संचालक, शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
३) सर्व सह संचालक, उच्च शिक्षण (संचालक, उच्च शिक्षण यांच्यामार्फत),
४) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक (शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत)
५) प्राचार्य, सर्व शासकीय व अशासकीय अनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये (संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्यामार्फत),
६) कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे (संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्यामार्फत)
७) निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, ता.जि.वर्धा,
८) निवडनस्ती-मशि-२.

कुलपति का संदेश...

विश्वविद्यालय में शिक्षा का मूल प्रयोजन समाज को दिशा देना और युवाशक्ति को सकारात्मक और सर्जनशील ढंग से उर्जस्वित करना है। यह विश्वविद्यालय ज्ञान की अनेकानेक विधाओं में, विशेषतः वर्तमान काल की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में उच्च अध्ययन और शोध के लिए सतत प्रयास कर रहा है। महात्मा गांधी की स्मृति से जुड़ा और राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से शिक्षा में संलग्न इस विश्वविद्यालय का परिसर आधुनिक तकनीकी सुविधाओं, आवास व्यवस्था, पुस्तकालय आदि से सुसज्जित है और इसे उत्कृष्ट बनाने के लिए सभी शिक्षक और सहकर्मी तत्पर हैं। आज के बदलते समय में मीडिया और वैश्वीकरण हमारे अनुभव का हिस्सा बन चुका है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि युवा पीढ़ी इस दृष्टि से उपयोगी कौशलों से युक्त हो। इसे ध्यान में रख कर कंप्यूटर, विदेशी भाषा, संचार, साहित्य, फ़िल्म तथा थियेटर और संस्कृति से जुड़े अनुशासनों में शिक्षण और शोध पर यहाँ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर ऐसे अनेक विषयों, जैसे–दलित तथा जनजाति अध्ययन, स्त्री अध्ययन, मानव विज्ञान, डायस्पोरा अध्ययन, अहिंसा और शांति अध्ययन, बौद्ध अध्ययन, समाजकार्य आदि पाठ्यक्रमों के साथ–साथ अनेक व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जैसे–व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर, पत्रकारिता में स्नातकोत्तर, पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन एवं फ़िल्म प्रोडक्शन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि चलाए जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण तो हैं, पर प्रायः उपेक्षित रहे हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये विषय अनेक संभावनाओं के द्वार खोलते हैं।

इसी दृष्टिकोण को साकार रूप प्रदान करने तथा शिक्षा के लोकतंत्रीकरण हेतु विश्वविद्यालय में 2007 में दूर शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। निदेशालय तभी से शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए सक्रिय है।

इस वर्ष हमने निदेशालय के अंतर्गत कई नए पाठ्यक्रमों की योजना बनाई है। निदेशालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों को पिछले वर्षों में जिस तरह लोकप्रियता प्राप्त हुई है, उसे देखते हुए इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इन पाठ्यक्रमों में भी विद्यार्थियों की रुचि होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि विश्वविद्यालय में अध्ययन का अनुभव विद्यार्थियों को न केवल रोज़गार के अवसरों के लिए तैयार करेगा, बल्कि उन्हें कौशलयुक्त अच्छा मनुष्य बनने के लिए भी प्रेरित करेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।

मैं नए विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनसे आग्रह होगा कि वे इस शिक्षा केंद्र को अपनी योग्यता और क्षमता के विस्तार के लिए माध्यम बनाएँ। मैं, विश्वविद्यालय के अध्यापक और कर्मचारीगण सभी आपकी जीवन यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आपके साथ हैं। मेरा विश्वास है कि आपकी उपस्थिति और आपका योगदान इस विश्वविद्यालय को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा।

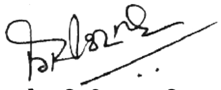

(प्रो. गिरीश्वर मिश्र)

निदेशक का वक्तव्य...

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा का दूर शिक्षा निदेशालय स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के कई पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। शिक्षार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि किसी भी समाज के लिए शुभ संकेत है, साथ ही संसाधनों की दृष्टि से एक चुनौती भी। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली इस समस्या का सम्यक् समाधान प्रस्तुत करती है। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दायरे में अधिक–से–अधिक शिक्षार्थियों को लाने का प्रयास करता है, विशेष रूप से ऐसे लोगों को जिनके पास शिक्षा–प्राप्ति के साधन सीमित हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखकर निदेशालय के पाठ्यक्रमों को प्रवेश तथा अध्ययन–प्रक्रिया की दृष्टि से विद्यार्थी केंद्रित बनाया गया है। विद्यार्थी पाठ्यसामग्री को बोधगम्य तथा अधिकाधिक उपयोगी पाएँगे। संचार प्रौद्योगिकी के वर्तमान दौर में उसके प्रयोग द्वारा पाठ्यसामग्री को सुलभ बनाने का प्रयास किया गया है। निदेशालय इस बात का बराबर ध्यान रखता है कि उसके पाठ्यक्रमों के अध्ययन से विद्यार्थियों के लिए भविष्य में व्यावसायिक दृष्टि से सफल होने के अधिक–से–अधिक अवसर उपलब्ध हों। हिंदी माध्यम से विभिन्न ज्ञानानुशासनों में रोज़गारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का संचालन, उनसे संबद्ध स्तरीय पाठ्यसामग्री का निर्माण तथा उपलब्धता सुनिश्चित कराना निदेशालय की प्राथमिकता है। इन पाठ्यक्रमों का एक उद्देश्य यह भी है कि विद्यार्थी सामाजिक स्तर पर जागरूक बनें तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण के साथ समाज की समस्याओं के निराकरण का सार्थक प्रयत्न कर अपने दायित्व का निर्वहन करें।

दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के प्रति मैं हार्दिक शुभकामनाएँ व्यक्त करता हूँ।

(प्रो. कृष्ण कुमार सिंह)

निदेशालय का परिचय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, भारतीय संसद द्वारा पारित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 (1997 की अधिनियम संख्या 3) के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए एक विकल्प उपस्थित करने का प्रयास है। विश्वविद्यालय की दृष्टि में यह वैकल्पिकता सक्रिय रूप में दिखाई पड़ती है। इसके शैक्षणिक ढाँचे में आवश्यकतानुसार लचीलेपन का समावेश लक्षित है। विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नांकित हैं –

''विश्वविद्यालय का उद्देश्य साधारणतः हिंदी भाषा तथा साहित्य का संवर्धन और विकास करना एवं उस प्रयोजन के लिए विद्या की सुसंगत शाखाओं में शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएँ प्रदान करना, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तुलनात्मक अध्ययनों एवं अनुसंधान के सक्रिय अनुसरण के लिए व्यवस्था करना, देश तथा विदेश में सुसंगत सूचना के विकास और प्रसारण के लिए सुविधाएँ प्रदान करना, हिंदी की कार्यात्मक प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए अनुवाद, निर्वचन व भाषा विज्ञान आदि क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, विदेशों में हिंदी में अभिरुचि रखने वाले हिंदी सेवियों, विद्वानों एवं समूहों तक पहुँचना तथा विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण व अनुसंधान के लिए उन्हें सहबद्ध करना और दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाना होगा।'' साथ ही धारा 5 के उपबंध (V) के अंतर्गत विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों में बताया गया है कि ''दूर शिक्षा माध्यम से उन व्यक्तियों को, जिनके बारे में वह अवधारित करे, सुविधाएँ प्रदान करना।'' इसी पृष्ठभूमि के आलोक में 15 जून, 2007 को महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय का उद्‌घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एवं विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष महामहिम डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा किया गया।

दूर शिक्षा निदेशालय का उद्देश्य हिंदी भाषा के माध्यम से ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की शिक्षा समाज के हर तबके, विशेष तौर पर समाज के हाशिए पर रह रहे शिक्षा से वंचित लोगों तक पहुँचाना है। यह हिंदी भाषा को आधार बनाकर प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवाद आदि अनुशासनों में शिक्षण, मौलिक सोच एवं लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु कटिबद्ध है। निदेशालय स्त्री–अध्ययन, अहिंसा एवं शांति अध्ययन जैसे नवीनतम अनुशासनों को व्यापक समाज तक पहुँचाने का प्रयास करेगा ताकि विश्वशांति एवं समता जैसे मूल्यों को व्यावहारिक तौर पर सिद्ध किया जा सके। हिंदी में मौलिक वैकल्पिक सोच एवं शोध के लिए प्रतिबद्ध निदेशालय यह प्रयास करेगा कि एक ओर दूर शिक्षा कार्यक्रम शोध द्वारा हिंदी एवं ज्ञान के अनुशासनों में मौलिक सृजन करे, साथ ही दूसरी ओर हिंदी भाषा के माध्यम से रोज़गारोन्मुखी पाठ्यक्रमों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। देश में उच्च शिक्षा के लगातार महँगे एवं आम जन की पहुँच से दूर होने के इस दौर में दूर शिक्षा की भूमिका निर्विवाद एवं महत्वपूर्ण है। अतः यह उन सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्राप्ति का एक बेहतर अवसर प्रदान कर सकेगा जो किसी कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। आशा है कि इसी राह पर चलते हुए यह निदेशालय अपने ध्येय 'शिक्षा जन–जन के द्वार' को चरितार्थ कर सकेगा।

दर्शन :

दूर शिक्षा निदेशालय शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था के लिए विकल्प उपस्थित करने, हिंदी में मौलिक सोच एवं अनुसंधान, समाज के हर तबके, विशेष तौर पर असुविधाग्रस्त तथा वंचित तबकों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच आसान बनाने हेतु ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की हिंदी भाषा के माध्यम से मौलिक प्रस्तुति एवं नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों का हिंदी माध्यम से प्रचार–प्रसार को सुनिश्चित करेगा।

उद्देश्य :

- परंपरागत व्यवस्था से लाभ उठाने से वंचितों को उच्च शिक्षा में बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराना।
- बृहत हिंदी–भाषी समुदाय के लिए उच्च शिक्षा में अत्याधुनिक, तकनीकी एवं विशिष्ट अनुशासनों के अवसरों में वृद्धि करना।
- हिंदी माध्यम से उपाधि प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

- नव–स्नातकों को पाठ्यक्रम की सफलतापूर्ण समाप्ति पर रोज़गार के नए एवं बेहतर अवसरों की ओर उन्मुख करने के लिए रोज़गारपरक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना।
- शिक्षा की इस पद्धति द्वारा हिंदी माध्यम से विशेषज्ञता प्राप्त करने को बढ़ावा देना।
- विश्वविद्यालयों की वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था में बेहतर अंतरसंबद्धता उपलब्ध कराने का सक्षम प्रयास करना।

पारिभाषिकी

1. **'दूर शिक्षा निदेशालय'**– विश्वविद्यालय का एक निदेशालय जो प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिग्री व विभिन्न राष्ट्रीय विकास के मुद्दों पर अनुसंधान तक के पाठ्यक्रमों का संचालन करता है।
2. **'अकादमिक कार्य'**– विभिन्न संबंधित पाठ्यक्रमों (विषयों) जिन्हें कोई विद्यार्थी सफलतापूर्वक विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए करेगा/करेगी।
3. **'प्रमाण–पत्र'**– इसका तात्पर्य किसी डिप्लोमा, स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या अनुसंधान/पीएचडी डिग्री आदि से संबंधित पाठ्यक्रमों की सफलतापूर्वक समाप्ति पर दिए जाने वाले प्रमाण–पत्र से है।
4. **'पाठ्यक्रम'**– किसी अकादमिक कार्यक्रम की किसी इकाई (जिसे दूसरे शब्दों में 'विषय' कहा जा सकता है) के सफलतापूर्वक समापन करने से होगा, ताकि अकादमिक कार्यक्रम का प्रमाण प्राप्त हो सके। पाठ्यक्रम विभिन्न संगठकों यथा–सैद्धांतिक, व्यावहारिक एवं परियोजना कार्य का समुच्चय हो सकता है।
5. **'सत्र'** – अकादमिक कार्यक्रम के लिए निर्धारित समय (अर्ध–वार्षिक/वार्षिक)।
6. **'वर्ष'** – अकादमिक कार्यक्रम के किसी निर्धारित भाग को पूरा करने में लगने वाले दो सत्रों का योग।
7. **'विद्यार्थी पंजीयन'** – अकादमिक कार्यक्रम में किसी विद्यार्थी के नामांकन का स्थायीकरण/अनुमोदन है। विश्वविद्यालय में निर्धारित नामांकन पत्र के पूर्ण विवरण (आवश्यक दस्तावेज़ सहित) एवं निर्धारित शुल्क की अदायगी के बाद ही पंजीयन वैध माना जाएगा।
8. **'क्रेडिट पद्धति'**– विश्वविद्यालय क्रेडिट पद्धति का अनुसरण करेगा। एक क्रेडिट का तात्पर्य विभिन्न शिक्षा/शैक्षिक गतिविधियों– अर्थात मुद्रित सामग्री के पाठ समय, परामर्श कार्यक्रम में भागीदारी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग एवं निर्दिष्ट कार्यों में लगने वाला समय। एक क्रेडिट का तात्पर्य न्यूनतम 30 घंटों की भागीदारी से है। इस तरह 4 क्रेडिट के एक पाठ का तात्पर्य 120 घंटों की शैक्षिक गतिविधियों से है। यह अध्येता को इस बात का अहसास दिलाता है कि एक पाठ की सफलतापूर्वक समाप्ति के लिए कितने परिश्रम की ज़रूरत है। एक अकादमिक कार्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन के लिए अध्येता को कार्यक्रम के प्रत्येक पाठ के लिए निर्दिष्ट कार्य, प्रायोगिक कार्य, परियोजना तथा सत्रांत परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
9. **'पाठ्यक्रम निष्पादन'**– महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय तथा इसके द्वारा मान्यता प्राप्त अभ्यास केंद्र अथवा आभासी शिक्षा कक्षाओं द्वारा पाठ्यक्रम का संपन्न किया जाना।
10. **'अभ्यास केंद्र'**– एक ऐसा स्थान, जहाँ शैक्षिक तथा प्रशासनिक दोनों सुविधाएँ, जैसे – सूचना प्राप्त करना, शैक्षिक परामर्श, व्यावहारिक दिशा–निर्देश, कार्यानुभव, मल्टीमीडिया सुविधाएँ, पुस्तकालय, परियोजना कार्यों का निर्देशन, भ्रमण कार्यक्रम, विश्वविद्यालय के साथ संप्रेषण आदि कार्यों के लिए उत्तरदायी है।
11. **'कार्यक्रम समन्वयक'**– विश्वविद्यालय तथा संबंधित अभ्यास केंद्र के प्रशासनिक एवं शैक्षिक दायित्वों का निर्वाह करने वाला व्यक्ति। ये परामर्शदाताओं की उपलब्धता, स्वयं अध्ययन सामग्री के वितरण, परामर्श कार्यक्रम के आयोजन आदि कार्य के लिए उत्तरदायी है।
12. **'अभ्यास केंद्र प्रमुख'**– उस संस्था का प्रमुख जिसे उस अभ्यास केंद्र की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। वे दैनंदिन कार्यों में भागीदारी नहीं करेंगे, लेकिन अध्ययन केंद्र की किसी समस्या के समाधान में उनकी अहम भूमिका होगी।

13. **'परामर्श सत्र'**– विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त अभ्यास केंद्र में आयोजित वह सत्र जिसमें परामर्शदाता अध्येता की समस्याओं/प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे एवं स्वयं अध्ययन सामग्री से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रदान कर सकेंगे। परामर्श सत्र के दौरान अध्येता अभ्यास–केंद्र की प्रयोगशाला में परियोजना कार्य से संबंधित कार्य भी करेंगे।

14. **'सत्रारंभ'**– किसी सत्र में पाठ्यक्रम की शुरुआत।

15. **'परामर्शदाता'**– विश्वविद्यालय तथा इसके द्वारा मान्यता प्राप्त अभ्यास–केंद्र का वह व्यक्ति, जो अध्येता की समस्याओं/प्रश्नों को हल करने में मदद करता हो।

16. **'स्वयं अध्ययन सामग्री'** – दूर शिक्षा माध्यम के अध्येताओं के लिए विशेष रूप से तैयार अध्ययन सामग्री जिसमें मुद्रित, दृश्य, श्रव्य, सी डी, कंप्यूटर आधारित सामग्री आदि शामिल हैं। इन सामग्रियों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि अध्येता शिक्षक के बिना भी इसे समझ सके। इसमें बोध प्रश्न, उदाहरण, संदर्भ घटना अध्ययन, रेखाचित्र, परिचय, पारिभाषिकी, सारांश आदि सम्मिलित हैं जो स्वयं निर्दिष्ट प्रश्नों एवं गतिविधियों को हल करने में मददगार साबित होती हैं।

17. **'मूल्यांकन पद्धति'**– निर्दिष्ट कार्यों के माध्यम से निरंतर मूल्यांकन प्रायोगिकी, सत्रांत परियोजना कार्य आदि सम्मिलित हैं।

18. **'सत्रांत परीक्षा'**– किसी भी सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा, जो सैद्धांतिक/व्यावहारिक प्रश्न–पत्र की होगी।

19. **'आंतरिक मूल्यांकन'**– सत्र के दौरान निर्दिष्ट कार्यों के माध्यम से अध्येता के प्रदर्शन को जाँचने की पद्धति।

20. **'परियोजना'**– अध्येता को दिया जाने वाला एक निर्दिष्ट कार्य जिसमें सामान्य से कहीं अधिक प्रयत्न की ज़रूरत होती है।

21. **'पाठ का सफलतापूर्वक समापन'**– अध्येता द्वारा परीक्षा नियमों के तहत सत्रांत परीक्षा में पाठ के सभी घटकों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अंकों की प्राप्ति।

22. **'क्रेडिट स्थानांतरण'**– विश्वविद्यालय की स्वीकृति पर छात्र द्वारा अपने पूर्व–पाठ्यक्रम में अर्जित क्रेडिट का किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्थानांतरण। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में औपचारिक अध्ययन द्वारा अर्जित क्रेडिट स्थानांतरण हेतु स्वीकार्य है। क्रेडिट स्थानांतरण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के भीतर लिखित आवेदन जमा करना होगा। आवेदन के साथ पूर्व की शैक्षिक योग्यता से संबंधित स्वप्रमाणित अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र/दस्तावेज़ तथा पूर्व में उत्तीर्ण संबंधित पाठ्यक्रम का पाठ्य–विवरण (Syllabus) संलग्न करना अनिवार्य है। क्रेडिट स्थानांतरण की सूचना विश्वविद्यालय द्वारा घोषित करने के बाद ही क्रेडिट स्थानांतरण प्रभावपूर्ण माना जाएगा।

23 **'छात्रवृत्ति'** – भारत सरकार द्वारा दिव्यांग तथा आरक्षित वर्ग के छात्रों को दी जानेवाली आर्थिक सुविधा है।

24 **'पुनः पंजीकरण'** – पुनः पंजीकरण का तात्पर्य है, किसी भी पाठ्यक्रम को निर्धारित अधिकतम अवधि तक पूर्ण न करने की स्थिति में पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु निर्धारित शुल्क के साथ किया जाने वाला पुनरावेदन।

25 **'स्नातक उपाधि'** – जो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की गई हो।

अकादमिक कैलेंडर

बीएड पाठ्यक्रम

विवरण	तिथियाँ 2018-19	तिथियाँ 2019-20
प्रवेश आवेदन–पत्र अभ्यास केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र/निदेशालय में जमा करने की अंतिम तिथि	31 मई, 2018	31 मई, 2019
विलंब शुल्क ₹300/- सहित प्रवेश आवेदन–पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	15 जून, 2018	14 जून, 2019
अभ्यास केंद्रों/क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा आवेदकों की सूची सहित प्रवेश आवेदन–पत्र विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि	25 जून, 2018	25 जून, 2019
चयनित आवेदकों की अनंतिम सूची विवि वेबसाइट पर प्रकाशित करने की तिथि	25 जुलाई, 2018	25 जुलाई, 2019
चयनित आवेदकों की अनंतिम सूची में संशोधन हेतु ई–मेल से निवेदन करने की अंतिम तिथि	7 अगस्त, 2018	7 अगस्त, 2019
चयनित आवेदकों की अंतिम सूची विवि वेबसाइट पर प्रकाशित करने की तिथि	13 अगस्त, 2018	13 अगस्त, 2019
नामांकन पत्र पूर्ण शुल्क के साथ जमा करने की अंतिम तिथि	24 अगस्त, 2018	23 अगस्त, 2019
अभ्यास केंद्रों द्वारा नामांकन पत्र पूर्ण शुल्क के साथ विवि में जमा करने की अंतिम तिथि	27 अगस्त, 2018	27 अगस्त, 2019
प्रविष्ट छात्रों की अभ्यास/क्षेत्रीय केंद्र/राज्यवार पंजीयन संख्या विवि वेबसाइट पर प्रकाशित करने की तिथि	12 सितंबर, 2018	12 सितंबर, 2019
सत्रारंभ	5 सितंबर, 2018	5 सितंबर, 2019
सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, क्षेत्रीय कार्य जर्नल, अवलोकन कार्य एवं परीक्षा फार्म आदि निदेशालय/क्षेत्रीय केंद्र एवं अभ्यास केंद्र में जमा करने की अंतिम तिथि	14 दिसंबर, 2018	16 दिसंबर, 2019
अभ्यास केंद्र के द्वारा प्रेषित सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, क्षेत्रीय कार्य जर्नल, अवलोकन कार्य आदि की मूल्यांकन सूची विवि वेबसाइट पर प्रकाशित करने की तिथि	31 दिसंबर, 2018	31 दिसंबर, 2019
प्रथम सत्र की परीक्षा आरंभ	**	**
द्वितीय सत्र का आरंभ	1 फरवरी, 2019	31 जनवरी, 2020
प्रथम सत्रांत परीक्षा परिणाम विवि की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की तिथि	**	**
सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, क्षेत्रीय कार्य जर्नल, अवलोकन कार्य एवं परीक्षा फार्म आदि निदेशालय/क्षेत्रीय केंद्र एवं अभ्यास केंद्र में जमा करने की अंतिम तिथि	30 अप्रैल, 2019	30 अप्रैल, 2020
अभ्यास केंद्र द्वारा प्रेषित सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, क्षेत्रीय कार्य जर्नल, अवलोकन कार्य आदि की मूल्यांकन सूची विवि की वेबसाइट पर प्रकाशित करने की अंतिम तिथि	15 मई, 2019	15 मई, 2020
द्वितीय सत्र की परीक्षा आरंभ	जून, 2019	जून, 2020
द्वितीय सत्रांत परीक्षा परिणाम विवि की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की तिथि	सितंबर, 2019	सितंबर, 2020

** परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा परिणाम यथा समय सूचित किया जाएगा।

सामान्य पाठ्यक्रम

विवरण	तिथियाँ 2018-19	तिथियाँ 2019-20
प्रवेश आवेदन–पत्र पाठ्यक्रम शुल्क के साथ अभ्यास केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र/निदेशालय में जमा करने की अंतिम तिथि	31 जुलाई, 2018	31 जुलाई, 2019
विलंब शुल्क ₹300/- एवं पाठ्यक्रम शुल्क के साथ प्रवेश आवेदन–पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	7 अगस्त, 2018	7 अगस्त, 2019
अभ्यास केंद्रों/क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा आवेदकों की सूची सहित प्रवेश आवेदन विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि	14 अगस्त, 2018	14 अगस्त, 2019
अंतिम नामांकन सूची विवि वेबसाइट पर जारी करने की तिथि एवं सत्रारंभ	12 सितंबर, 2018	12 सितंबर, 2019
सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, क्षेत्रीय कार्य जर्नल, अवलोकन कार्य एवं परीक्षा फार्म आदि निदेशालय/क्षेत्रीय केंद्र एवं अभ्यास केंद्र में जमा करने की अंतिम तिथि	14 दिसंबर, 2018	16 दिसंबर, 2019
अभ्यास केंद्र द्वारा प्रेषित सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, क्षेत्रीय कार्य जर्नल, अवलोकन कार्य आदि की मूल्यांकन सूची विवि वेबसाइट पर प्रकाशित करने की तिथि	31 दिसंबर, 2018	31 दिसंबर, 2019
प्रथम सत्रांत परीक्षा का आरंभ	***	***
प्रथम सत्रांत परीक्षा परिणाम विवि वेबसाइट पर प्रकाशित होने की तिथि		
द्वितीय सत्र का आरंभ	1 फरवरी, 2019	31 जनवरी, 2020
सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, क्षेत्रीय कार्य जर्नल, अवलोकन कार्य आदि निदेशालय/क्षेत्रीय केंद्र एवं अभ्यास केंद्र में जमा करने की अंतिम तिथि	30 अप्रैल, 2019	30 अप्रैल, 2020
अभ्यास केंद्र द्वारा प्रेषित सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, क्षेत्रीय कार्य जर्नल, अवलोकन कार्य आदि की मूल्यांकन सूची विवि वेबसाइट पर प्रकाशित करने की तिथि	15 मई, 2019	15 मई, 2020
द्वितीय सत्र की परीक्षा आरंभ	जून, 2019	जून, 2020
द्वितीय सत्रांत परीक्षा परिणाम विवि वेबसाइट पर प्रकाशित होने की तिथि	सितंबर, 2019	सितंबर, 2020

***परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा परिणाम यथा समय सूचित किया जाएगा।

- संपर्क -

दूर शिक्षा निदेशालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा (महाराष्ट्र) – 442001

टोल फ्री क्रमांक : 18002331575 वेबसाइट : www.hindivishwa.org/distance

संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण

(निदेशालय से संचालित समस्त पाठ्यक्रम यूजीसी की दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (DEB), नई दिल्ली एवं NCTE से मान्यता प्राप्त हैं।)

क्र.	पाठ्यक्रम	कोड	पात्रता	पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अवधि न्यूनतम-अधिकतम	
1.	व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (MBA)	001	स्नातक (GEN/OBC के लिए 45% SC/ST/PH 40% अंक)	2 वर्ष	4 वर्ष
2.	समाजकार्य में स्नातकोत्तर (MSW)	002	स्नातक	2 वर्ष	4 वर्ष
3.	पत्रकारिता मे स्नातकोत्तर (MJ)	003	बीजे	1 वर्ष	3 वर्ष
4.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर (MLibISc)	004	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक	1 वर्ष	3 वर्ष
5.	एमए हिंदी (MAHD)	010	स्नातक	2 वर्ष	4 वर्ष
6.	शिक्षा स्नातक (BEd)	012	1. प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक 2. वे अभ्यर्थी, जिन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति (फेस टू फेस) से अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूर्ण किया है। 3. स्नातक (सामान्य के लिए 50% OBC-NCL/SC/ST/PH 45% अंक)	2 वर्ष	5 वर्ष
7.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (BLibISc)	006	स्नातक	1 वर्ष	3 वर्ष
8.	पत्रकारिता में स्नातक (BJ)	007	स्नातक	1 वर्ष	3 वर्ष
9.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन एवं फिल्म प्रोडक्शन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDEM&FP)	008	स्नातक	1 वर्ष	3 वर्ष
10.	पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDJMC)	009	स्नातक	1 वर्ष	3 वर्ष

दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों का माध्यम हिंदी है। सभी पाठ्यक्रमों के लिए समय–समय पर संपर्क कक्षाओं (Contact Classes) का आयोजन किया जाएगा। इसकी सूचना विश्वविद्यालय की **वेबसाइट : www.hindivishwa.org/distance पर दी जाएगी।**

1. व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (001MBA)

यह हिंदी माध्यम द्वारा प्रबंधन क्षेत्र में दूर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत संचालित होने वाला एकमात्र और अनोखा पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम ने उन विद्यार्थियों, जिन्हें व्यवसाय प्रशासन में रुचि है, के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार के द्वार खोल दिए हैं। इस पाठ्यक्रम से इसके अध्येताओं में आत्मविश्वास तो पैदा होगा ही, साथ ही वे दक्षता के साथ हर क्षेत्र में आगे भी बढ़ सकेंगे। वर्तमान संदर्भों में बाज़ार की माँग को ध्यान में रखते हुए विविध विशेषज्ञताओं में इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। यह पाठ्यक्रम कुल 80 क्रेडिट का है।

पाठ्य–विवरण

प्रथम सेमेस्टर

क्र.	कोड	विषय	क्रेडिट
1	MS 401	प्रबंधन का मूल आधार	2
2	MS 402	संगठनात्मक व्यवहार	2
3	MS 403	प्रबंधकीय लेखांकन	4
4	MS 404	प्रबंधकीय अर्थशास्त्र	4
5	MS 405	व्यवसाय के कानूनी पहलू	4
6	MS 406	प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं संगणक के अनुप्रयोग	4

द्वितीय सेमेस्टर

क्र.	कोड	विषय	क्रेडिट
1	MS 411	मानव संसाधन प्रबंधन	4
2	MS 412	वित्तीय प्रबंधन	4
3	MS 413	विपणन प्रबंधन	4
4	MS 414	अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन	4
5	MS 415	व्यावसायिक वातावरण	4

तृतीय सेमेस्टर (अनिवार्य विषय)

क्र.	कोड	विषय	क्रेडिट
1	MS 420	शोध के मूल आधार	4
2	MS 421	उद्यमिता के मूल आधार	4
3	MS 422	व्यावसायिक संप्रेषण	4

विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार निम्नलिखित किसी एक विशेषज्ञता से 2 विषय एवं दूसरी विशेषज्ञता से 2 विषय का चयन करें।

विपणन

क्र.	कोड	विषय	क्रेडिट
1	MS 423	उपभोक्ता व्यवहार	2
2	MS 424	बिक्री प्रबंधन	2
3	MS 425	सेवा विपणन	2
4	MS 426	खुदरा प्रबंधन	2

वित्त

क्र.	कोड	विषय	क्रेडिट
1	MS 428	वित्तीय सेवाओं के मूल आधार	2
2	MS 429	वित्तीय संस्थानों का प्रबंधन	2
3	MS 430	कार्यशील पूँजी का प्रबंधन	2
4	MS 431	मुद्रा एवं बैंकिंग	2

मानव संसाधन

क्र.	कोड	विषय	क्रेडिट
1	MS 433	प्रशिक्षण और विकास	2
2	MS 435	औद्योगिक संबंधों का प्रबंधन	2
3	MS 436	श्रम कानून	2
4	MS 437	संगठनों में टीम बिल्डिंग	2

चतुर्थ सेमेस्टर (अनिवार्य विषय)

क्र.	कोड	विषय	क्रेडिट
1	MS 438	अंतिम अनुसंधान परियोजना	8
2	MS 439	सामरिक प्रबंधन	4

विद्यार्थी तृतीय सेमेस्टर के विशेषज्ञतानुसार निम्नलिखित किसी एक विशेषज्ञता से 2 विषय एवं दूसरी विशेषज्ञता से 2 विषय का चयन करें :

विपणन

क्र.	कोड	विषय	क्रेडिट
1	MS 442	विज्ञापन एवं बिक्री संवर्धन	2
2	MS 443	आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन	2
3	MS 444	ब्रांड प्रबंधन	2
4	MS 445	विपणन शोध	2

वित्त

क्र.	कोड	विषय	क्रेडिट
1	MS 446	विलय और अधिग्रहण	2
2	MS 447	स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस	2
3	MS 448	सुरक्षा विश्लेषण और पोर्टफोलियो प्रबंधन	2
4	MS 449	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन	2

मानव संसाधन

क्र.	कोड	विषय	क्रेडिट
1	MS 450	संगठनात्मक विकास	2
2	MS 451	मानव संसाधन विकास	2
3	MS 452	मुआवजा प्रबंधन	2
4	MS 453	मानव संसाधन नियोजन	2

2. समाजकार्य में स्नातकोत्तर (002 MSW)

यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को समाजकार्य से जुड़े व्यवसायों में उच्च अध्ययन के अवसर प्रदान करता है। समाजकार्य पाठ्यक्रम के परंपरागत विषयों के साथ यह वैश्वीकरण, विस्थापन, भारत में समाजकार्य का इतिहास, एड्स/एचआईवी इत्यादि समसामयिक व प्रासंगिक विषयों को भी समाहित करता है। इस पाठ्यक्रम का व्यावहारिक प्रशिक्षण विद्यार्थियों के रोज़गार की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यह पाठ्यक्रम 80 क्रेडिट का है।

पाठ्य–विवरण

प्रथम सेमेस्टर

क्र.	कोड	विषय	क्रेडिट
1	MSW 01	समाज कार्य का उद्भव और विकास	4
2	MSW 02	सामाजिक विज्ञान अवधारणाएँ	4
3	MSW 03	समाज कार्य के क्षेत्र	4
4	MSW 04	व्यक्तित्व एवं मानव व्यवहार की गतिकी	4
5	MSW 05	भारतीय सामाजिक समस्याएँ	4

द्वितीय सेमेस्टर

क्र.	कोड	विषय	क्रेडिट
1	MSW 06	सामाजिक वैयक्तिक सेवाकार्य	4
2	MSW 07	सामाजिक समूह कार्य	4
3	MSW 08	सामुदायिक संगठन एवं सामाजिक क्रिया	4
4	MSW 09	समाजकार्य एवं सामाजिक विकास	4
5	MSW 10	सामाजिक कल्याण प्रशासन, नीति और नियोजन	4

तृतीय सेमेस्टर

क्र.	कोड	विषय	क्रेडिट
1	MSW 11	समाज कार्य प्रबंधन	4
2	MSW 12	समाज कार्य अनुसंधान	4
3	MSW 13	सामुदायिक स्वास्थ्य	4
4	MSWFW01	क्षेत्र कार्य	8

चतुर्थ सेमेस्टर

क्र.	कोड	विषय	क्रेडिट
1	MSW 14	गांधीय समाज कार्य	4
2	MSW 15	परामर्श एवं संप्रेषण : समाज कार्य परिप्रेक्ष्य	4
3	MSW 16	संविधान और मानवाधिकार	4
4	MSWP01	परियोजना कार्य	8

3. पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (003 MJ)

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य जनसंचार सिद्धांतों, मीडिया की विभिन्न धारणाओं–समस्याओं का विस्तृत एवं गहन अध्ययन कराना है। इस पाठ्यक्रम द्वारा माध्यमों (मीडिया) के संबंध में शोध प्रशिक्षण एवं सतत अध्ययन को गति देना, मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रुचि के अनुसार दक्षता का विकास किया जाना है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी को पत्रकारिता के विभिन्न संस्थाओं में कार्य करने हेतु आवश्यक कौशल उपलब्ध कराया जाता है। यह पाठ्यक्रम 64 क्रेडिट का है।

पाठ्य–विवरण

क्र.	कोड	विषय	क्र.	कोड	विषय
1	MJ 101	जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन	5.	MJ 105	विशेषीकृत पत्रकारिता एवं समाज
2	MJ 102	फीचर लेखन एवं पत्रिका संपादन	6	MJ 106	न्यू मिडिया प्रोडक्शन
3	MJ 103	जनसंचार शोध प्रविधि	7	MJ 107	न्यू मिडिया एवं समाज
4	MJ 104	जनसंचार के सिद्धांत	8	MJ 108	परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट वर्क)

4. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर (004 M Lib Isc)

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में देश में विद्यमान पुस्तकालय और सूचना केंद्रों के प्रभावी संगठन तथा प्रबंधन के लिए कौशल एवं प्रशिक्षण विकसित कराना है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय की नवीनतम प्रवृत्तियों एवं तकनीकी प्रशिक्षण द्वारा ज्ञान व कौशल अर्जित कर सकेगा। यह पाठ्यक्रम 32 क्रेडिट का है।

पाठ्य–विवरण

क्र.	कोड	विषय
1	MLIS01	पुस्तकालय सूचना एवं समाज
2	MLIS02	ज्ञान का संगठन एवं शोध पद्धति
3	MLIS03	सूचना संग्रहण एवं पुनः प्राप्ति
4	MLIS04	सूचना स्रोत, संसाधन एवं प्रणालियाँ

क्र.	कोड	विषय
5	MLIS05	सूचना उत्पाद एवं सेवाएँ : संरचना, विकास एवं विपणन
6	MLIS06	पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन
7	MLIS07	पुस्तकालय में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग
8	MLIS08	पुस्तकालय सामग्री का परिरक्षण एवं संरक्षण

5. एमए हिन्दी : (010 MAHD)

यह पाठ्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए है जो स्वाध्याय केन्द्रित दूर शिक्षा के माध्यम से हिन्दी भाषा और साहित्य का सम्यक् अध्ययन कर हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं। सेमेस्टर पद्धति एवं स्वचयनाधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुरूप निर्मित 4 सेमेस्टर में विभक्त यह द्विवर्षीय पाठ्यक्रम कुल 80 क्रेडिट का है। यह पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा एवं साहित्य की परम्परागत पाठ्यचर्याओं के साथ ही 'प्रयोजनमूलक हिन्दी', 'हिन्दी पत्रकारिता', 'हिन्दी भाषा एवं भाषा–शिक्षण' तथा 'सृजनात्मक लेखन' जैसी रोजगारोन्मुखी पाठ्यचर्याओं के अध्ययन का अवसर सुलभ कराता है। यह पाठ्यक्रम इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसमें 'हिन्दी अनुप्रयोग : तकनीकी संसाधन एवं उपकरण', 'तुलनात्मक भारतीय साहित्य', एवं 'नव सामाजिक विमर्श' जैसी अत्यन्त आवश्यक एवं प्रासंगिक पाठ्यचर्याओं के साथ ही नैतिक संस्कारों और जीवन मूल्यों की चेतना के निहितार्थ 'हिन्दी नीतिकाव्य और मूल्य चेतना' जैसी समाजोपयोगी पाठ्यचर्या का भी समावेश किया गया है। परियोजना कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों को हिन्दी के कालजयी रचनाकारों के समग्र कृतित्व एवं हिन्दी की समवेत संस्कृति की स्थापना में सहायक विभिन्न प्रचार संस्थाओं / नाट्य–संस्थाओं, पत्र–पत्रिकाओं, साहित्यिक आन्दोलनों, पुस्तकालयों, साहित्यिक केन्द्रों तथा साहित्यिक कृतियों पर बनने वाले सिनेमा और टेलीविजन धारावाहिकों, प्रकाशकों आदि के विशेष योगदान का सघन अध्ययन करने हेतु प्रवृत्त करना इस पाठ्यक्रम का अपना वैशिष्ट्य है।

पाठ्य–विवरण

प्रथम सेमेस्टर

क्र.	कोड	अनिवार्य / वैकल्पिक	शीर्षक	क्रेडिट
1	MAHD-01	अनिवार्य	प्रारम्भिक हिन्दी काव्य	4
2	MAHD-02	अनिवार्य	हिन्दी उपन्यास एवं कहानी	4
3	MAHD-03	अनिवार्य	भारतीय काव्यशास्त्र	4
4	MAHD-04	अनिवार्य	हिन्दी साहित्य का इतिहास–1	4
5	MAHD-05	वैकल्पिक	प्रयोजनमूलक हिन्दी	4
6	MAHD-06	वैकल्पिक	लोक–साहित्य	4

द्वितीय सेमेस्टर

क्र.	कोड	अनिवार्य / वैकल्पिक	शीर्षक	क्रेडिट
1	MAHD-07	अनिवार्य	मध्यकालीन हिन्दी काव्य	4
2	MAHD-08	अनिवार्य	हिन्दी नाटक एवं रंगमंच	4
3	MAHD-09	अनिवार्य	पाश्चात्य काव्यशास्त्र	4
4	MAHD-10	अनिवार्य	हिन्दी साहित्य का इतिहास–2	4
5	MAHD-11	वैकल्पिक	हिन्दी पत्रकारिता	4
6	MAHD-12	वैकल्पिक	हिन्दी अनुप्रयोग : तकनीकी संसाधन एवं उपकरण	4

तृतीय सेमेस्टर

क्र.	कोड	अनिवार्य / वैकल्पिक	शीर्षक	क्रेडिट
1	MAHD-13	अनिवार्य	आधुनिककालीन हिन्दी काव्य	4
2	MAHD-14	अनिवार्य	हिन्दी आलोचना	4
3	MAHD-15	अनिवार्य	हिन्दी भाषा का विकास एवं नागरी लिपि	4
4	MAHD-16	अनिवार्य	तुलनात्मक भारतीय साहित्य	4
5	MAHD-17	वैकल्पिक	हिन्दी भाषा एवं भाषा–शिक्षण	4
6	MAHD-18	वैकल्पिक	सृजनात्मक लेखन	4

चतुर्थ सेमेस्टर

क्र.	कोड	अनिवार्य / वैकल्पिक	शीर्षक	क्रेडिट
1	MAHD-19	अनिवार्य	हिन्दी नीतिकाव्य और मूल्य चेतना	4
2	MAHD-20	अनिवार्य	हिन्दी के विविध गद्य–रूप	4
3	MAHD-21	अनिवार्य	भाषाविज्ञान	4
4	MAHD-22	अनिवार्य	नव सामाजिक विमर्श	4
5	MAHD-23	वैकल्पिक	परियोजना कार्य : रचनाकार का विशेष अध्ययन	4
6	MAHD-24	वैकल्पिक	परियोजना कार्य : हिन्दी की संस्कृति का विशेष अध्ययन	4

6. शिक्षा-स्नातक (012 BEd)

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य सेवारत शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास का एक मंच प्रदान करना है, जो माध्यमिक स्तर पर प्रभावशाली अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया हेतु उन्हें सक्षम बना सके। यह पाठ्यक्रम सेवारत अध्यापकों के अनुभवों को साझा करने का अवसर भी प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से सेवारत शिक्षकों में शिक्षाशास्त्रीय कुशलताओं को इस प्रकार से विकसित किया जाएगा कि वे शिक्षण के विभिन्न दार्शनिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आयामों के बृहत्तर परिदृश्य को भारतीय संदर्भ में समझ सकें। इस पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा की समकालीन माँग को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यह पाठ्यक्रम दो वर्ष का है, जिसमें विद्यार्थी को कुल 80 क्रेडिट अर्जित करनी होगी।

पाठ्यक्रम का उद्देश्य :

पाठ्यक्रम का उद्देश्य सेवारत अध्यापकों को निम्नलिखित के योग्य बनाना है :

1. सेवारत अध्यापकों के अनुभवों को व्यवस्थित करना और उनकी व्यावसायिक क्षमताओं को सुदृढ़ करना।
2. उन कौशलों को विकसित करना, जो माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के अध्ययन अनुभवों के चयन करने और उन्हें व्यवस्थित करने हेतु आवश्यक माने जाते हैं।
3. उन कौशलों को विकसित करना, जो विद्यार्थियों की शैक्षिक और निजी समस्याओं को सुलझाने हेतु आवश्यक हैं।
4. ज्ञान का निर्माण करना तथा कक्षा में उसका प्रयोग करना।
5. शैक्षिक आकलन व मूल्यांकन उपकरणों का चयन, विकास और प्रयोग करने हेतु सम्मिलित कौशलों को विकसित करना।
6. विद्यालय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान और बोध प्राप्त कराना।
7. विभिन्न शिक्षण, अनुदेशन और विद्यार्थी सहायता कार्य–कलाप आयोजित करने के लिए क्षमताएँ विकसित करना ।
8. वर्तमान, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ में सामान्य तौर पर, नई शैक्षिक पद्धति में विशेष तौर पर अध्यापक की भूमिका के महत्व का बोध विकसित करना।

पाठ्य–विवरण

प्रथम सेमेस्टर			
क्र.	कोड	विषय	क्रेडिट
1	शिक्षा 011	शिक्षा एवं शिक्षा के प्रयोजन	4
2	शिक्षा 012	शिक्षार्थी एवं उसका संदर्भ	4
3	शिक्षा 013	समकालीन भारत एवं शिक्षा	4
4	शिक्षा 014	शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी	4
5	शिक्षा 015	विद्यालय संगठन एवं प्रशासन	4

द्वितीय सेमेस्टर			
क्र.	कोड	विषय	क्रेडिट
1	शिक्षा 021	संज्ञान, अधिगम एवं शिक्षण	4
2	शिक्षा 022	शैक्षिक आकलन	4
3	शिक्षा 023	विद्यालय विषय शिक्षण	4
4	शिक्षा 024	विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व	4
5	शिक्षा 025	व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (एक सप्ताह के लिए)	4

तृतीय सेमेस्टर			
क्र.	कोड	विषय	क्रेडिट
1	शिक्षा 031	विद्यालय शिक्षण अनुभव कार्यक्रम	16
2	शिक्षा 032	विषय शिक्षा (प्रायोगिक)	04

चतुर्थ सेमेस्टर			
क्र.	कोड	विषय	क्रेडिट
1	शिक्षा 041	शिक्षा तकनीकी	4
2	शिक्षा 042	शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श	4
3	शिक्षा 043	ज्ञान एवं पाठ्यचर्या	4
4	शिक्षा 044	पर्यावरण शिक्षा	4
5	शिक्षा 045	जेंडर, विद्यालय और समाज (वैकल्पिक)	4
6	शिक्षा 046	मानवाधिकार एवं शांति शिक्षा (वैकल्पिक)	4

7. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (006 B Lib ISc)

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में देश में विद्यमान पुस्तकालय और सूचना तकनीकी की जानकारी तथा प्रभावी संगठन एवं व्यवस्थापन की दक्षता और कौशल विकसित कराना है। यह पाठ्यक्रम 40 क्रेडिट का है।

पाठ्य-विवरण

क्र.	कोड	विषय	क्र.	कोड	विषय
1	BLIS01	पुस्तकालय एवं समाज	5	BLIS05	पुस्तकालय प्रबंध
2	BLIS02	पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण सिद्धांत	6	BLIS06	सूचना स्रोत
3	BLIS03	पुस्तकालय वर्गीकरण – प्रायोगिक	7	BLIS07	संदर्भ एवं सूचना सेवाएँ
4	BLIS04	पुस्तकालय सूचीकरण – प्रायोगिक	8	BLIS08	कंप्यूटर : मूलभूत एवं अनुप्रयोग

8. पत्रकारिता में स्नातक (007 BJ)

प्रस्तुत पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय का व्यावहारिक और गहन प्रशिक्षण देना है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में पत्रकारिता एवं जनसंचार माध्यमों के प्रति रुचि उत्पन्न करता है जिससे विद्यार्थी मुद्रित माध्यमों, पत्र–पत्रिकाओं आदि से लेकर रेडियो, टेलीविजन, समाचार एजेंसियों और सरकारी एवं कार्पोरेट संस्थाओं में रोजगार प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कौशल हासिल कर सके। यह पाठ्यक्रम 48 क्रेडिट का है।

पाठ्य-विवरण

क्र.	कोड	विषय	क्र.	कोड	विषय
1	BJ01	कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं साइबर मीडिया	5	BJ05	जनसंपर्क एवं विज्ञापन
2	BJ02	संचार एवं विकासात्मक संचार	6	BJ06	संपादन, पृष्ठ सज्जा एवं मुद्रण
3	BJ03	जनसंचार माध्यमों का इतिहास	7	BJ07	मीडिया संस्थान प्रबंधन एवं मीडिया कानून
4	BJ04	मीडिया लेखन	8	BJ08	परियोजना कार्य

9. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन एवं फिल्म प्रोडक्शन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (008 PGD EM& FP)

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन का विस्तृत एवं गहन अध्ययन कराना है। इसके अंतर्गत जनसंचार माध्यमों के संबंध में शोध प्रशिक्षण एवं सतत अध्ययन को गति देना, मीडिया के विभिन्न क्षेत्र में विशेष रुचि के अनुसार दक्षता पर विशेष बल दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस और फिल्म प्रोडक्शन हाउस की विभिन्न संस्थाओं में कार्य करने हेतु आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। यह पाठ्यक्रम 32 क्रेडिट का है।

पाठ्य-विवरण

क्र.	कोड	विषय	क्र.	कोड	विषय
1	PGDEM&FP01	मीडिया : अवधारणा एवं सिद्धांत	4	PGDEM&FP04	फ़िल्म प्रबंधन
2	PGDEM&FP02	फ़िल्म परिचय एवं इतिहास	5	PGDEM&FP05	प्रायोगिक एवं प्रोजेक्ट कार्य
3	PGDEM&FP03	फ़िल्म प्रोडक्शन			

10. पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (009PGDJMC)

प्रस्तुत पाठ्यक्रम का उद्देश्य मीडिया क्षेत्र में कार्यरत लोगों तथा उनके व्यावसायिक विकास से जुड़े ज्ञान व कौशल में वृद्धि कराना है। यह डिप्लोमा जनसंचार एवं पत्रकारिता के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आयामों को सर्वांगीण दृष्टि प्रदान करता है। इस डिप्लोमा के लिए पटकथा लेखक, रिपोर्टर, संपादक, फोटोग्राफर, तकनीकी सहायक, जनसंपर्क अधिकारी आदि के अनुभव स्वीकार्य होंगे। यह पाठ्यक्रम 32 क्रेडिट का है।

पाठ्य-विवरण

क्र.	कोड	विषय	क्र.	कोड	विषय
1	PGDJMC01	जनसंचार एवं पत्रकारिता : स्वरूप और सिद्धांत	3	PGDJMC03	समाचार संकलन, लेखन एवं संपादन
2	PGDJMC02	मीडिया और समाज	4	PGDJMC04	जनसंपर्क एवं विज्ञापन

नोट : समस्त पाठ्यक्रमों के अंग्रेज़ी पाठ्य–विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

शुल्क सारिणी

क्र.	पाठ्यक्रम	शिक्षण शुल्क	प्रवेश शुल्क	नामांकन शुल्क	परिचय पत्र शुल्क	परीक्षा शुल्क	उपाधि शुल्क	कुल पाठ्यक्रम शुल्क (₹ में)
1.	MBA	11,500 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	2,500	–	14,500
		11,500 (द्वितीय वर्ष)	–	–	–	2,500	250	14,250
2.	MSW	8,000 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	2,500	–	11,000
		8,000 (द्वितीय वर्ष)	–	–	–	2,500	250	10,750
3.	MJ	9,500	200	200	100	2,000	250	12,250
4.	MLiBISc	5,000	200	200	100	2,000	250	7,750
5.	MAHD	4,000 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	2,500	–	7,000
		4,000 (द्वितीय वर्ष)	–	–	–	2,500	250	6,750
6.	BEd	10,000 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	2,500	–	13,000
		10,000 (द्वितीय वर्ष)	–	–	–	2,500	250	12,750
7.	BLibISc	5,000	200	200	100	2,000	250	7,750
8.	BJ	5,000	200	200	100	2,000	250	7,750
9.	PGDEM&FP	5,500	200	200	100	1,300	250	7,550
10.	PGDJMC	3,000	200	200	100	1,000	250	4,750

शिक्षण शुल्क में छूट : दिव्यांग एवं बीपीएल वर्ग को संबंधित प्रमाणपत्र जमा करने पर शिक्षण शुल्क में क्रमशः 50 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।

महत्वपूर्ण निर्देश

प्रवेश प्रक्रिया :

बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश 'मेरिट' के आधार पर होगा। आवेदन–पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindivishwa.org पर उपलब्ध है, जिसे आवश्यक संलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। निदेशालय द्वारा प्राप्त आवेदनों की जाँच के बाद चयनित विद्यार्थियों की सूची वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन :

ऑनलाइन आवेदन हेतु दूर शिक्षा निदेशालय के वेब पेज (www.hindivishwa.org/ distance) पर प्रवेश मेन्यू के ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें।

भुगतान प्रक्रिया :

समस्त पाठ्यक्रम–शुल्क (वार्षिक / सत्रानुसार, जो लागू हो) सामान्यतः एकमुश्त देय है। विद्यार्थी यदि चाहे तो संबंधित पाठ्यक्रम–शुल्क का भुगतान दो समान किश्तों (प्रथम–प्रवेश आवेदन के साथ तथा द्वितीय परीक्षा आवेदन के साथ) में कर सकता है। समस्त शुल्क किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से वित्ताधिकारी, मगांअंहिंवि, वर्धा के पक्ष में तथा वर्धा में देय (In favour of Finance Officer, MGAHV, Wardha) (Payable at Wardha) माँगपत्र के द्वारा जमा किया जा सकता है। माँगपत्र के पीछे पाठ्यक्रम का नाम, छात्र का नाम, ईमेल आईडी, पता व मोबाइल नंबर का उल्लेख अनिवार्य है।

जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस, स्थानांतरित या समायोजित नहीं किया जाएगा। यदि शुल्क विवरण में कोई परिवर्तन होगा, तो यह परिवर्तन सभी पर लागू होगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

संलग्नकों की सूची :

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न होनी अनिवार्य है :

1. कक्षा 10 वीं की अंकसूची तथा प्रमाणपत्र (दोनों)
2. कक्षा 12 वीं की अंकसूची
3. डीएड / समकक्ष (बीएड के लिए अनिवार्य)
4. स्नातक की अंकसूची एवं प्रमाणपत्र / डिग्री / अंतिम प्रमाणपत्र
5. अद्यतन अनुभव / सेवा प्रमाणपत्र (जहाँ लागू है।) बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शिक्षणाधिकारी द्वारा जारी सेवारत प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
6. स्थायी पता का प्रमाण
7. जाति प्रमाण पत्र (OBC-NCL/SC/ST)
8. आधार कार्ड

पूर्ण एवं विधिवत रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज़ के साथ निर्धारित तिथि तक निम्नलिखित पते पर पहुँच जाने चाहिए –

निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, पो. हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा (महाराष्ट्र) – 442 001

अपूर्ण एवं अपाठ्य आवेदन बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिए जाएँगे।

पात्रता एवं प्रवेश :

1. प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थी की निश्चित संख्या या लक्षित समूह की संख्या के निर्धारण का अधिकार विश्वविद्यालय का है, साथ ही यह संख्या पाठ्यक्रम की माँग व संचालित करने की क्षमता पर भी निर्भर होगी।
2. लक्षित समूह में नव–स्नातक विद्यार्थी, नौकरीपेशा अभ्यर्थी इत्यादि शामिल हैं।

3. प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश निर्धारित 'प्रवेश–पात्रता' के आधार पर ही होगा, जैसा कि विद्यार्थी मार्गदर्शिका में निर्देशित है।
4. सभी पाठ्यक्रमों का माध्यम हिंदी है।
5. स्नातक परीक्षा परिणाम हेतु प्रतीक्षारत विद्यार्थी भी आवेदन कर सकता है।
6. DEC / अधिसूचना / 40.5.1.5 / 2012, दि. 01.11.2012 के अनुसार विद्यार्थी किसी भी विश्वविद्यालय / संस्थान से एक साथ दो स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं है। अधिक जानकारी के लिए उक्त अधिसूचना संज्ञान में लें।

परीक्षा केंद्र :

अभ्यास केंद्र ही परीक्षा केंद्र हो यह अनिवार्य नहीं है। समस्त पाठ्यक्रमों की सत्रांत / वार्षिक परीक्षा नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा चयनित केंद्रों पर होगी। विशेष परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में परिवर्तन का अधिकार विश्वविद्यालय का है।

परीक्षा केंद्रों का विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

परीक्षा-आवेदन* :

अभ्यास केंद्र संचालक इसका ध्यान रखें कि विद्यार्थियों द्वारा स्वहस्ताक्षरित परीक्षा आवेदन–प्रपत्र स्पष्ट और पूर्ण रूप से भरा हो यथा–परीक्षा केंद्र का नाम, पंजीयन संख्या / नामांकन संख्या, परीक्षार्थी का नाम (हिंदी व अंग्रेज़ी में), माता–पिता का नाम (हिंदी व अंग्रेज़ी में), पाठ्यक्रम का नाम एवं कोड, जन्मतिथि, प्रश्न पत्र का नाम व कोड, यदि पूरक है तो पूरक वाले कॉलम में ही अंकित है या नहीं, उपस्थिति–पत्रक एवं प्रवेश–पत्र भी पूर्ण रूप से भरा है या नहीं। अपूर्ण परीक्षा आवेदन–प्रपत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा एवं बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा। इसका सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।

मूल्यांकन एवं परिणाम :

दूर शिक्षा निदेशालय विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु आंतरिक एवं सत्रांत मूल्यांकन पद्धति को अपनाता है। इसमें कुल पूर्णांकों में से 30 प्रतिशत आंतरिक मूल्यांकन / संपर्क कक्षाओं तथा शेष 70 प्रतिशत सत्रांत मूल्यांकन का होगा। सत्रांत मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो विद्यार्थी दोनों पूर्णांकों (100) में 40 प्रतिशत प्राप्तांक लाएगा, वही उत्तीर्ण माना जाएगा। 40 प्रतिशत प्राप्तांक लाने में असफल विद्यार्थी को अगली सत्रांत परीक्षा में बैठने के लिए निर्धारित शुल्क ₹ 300/- प्रति प्रश्नपत्र जमा करना होगा। सत्रीय कार्य में उत्तीर्ण नहीं होने पर अगले सत्र में सत्रीय कार्य पुनः जमा करने हेतु निर्धारित शुल्क ₹ 250/- जमा करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी हेतु विश्वविद्यालय के Toll Fee No.18002331575 से संपर्क किया जा सकता है।

चयन-सूचना :

चयनित विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindivishwa.org/distance पर उपलब्ध होगी। विद्यार्थी दूर शिक्षा के कार्यालय एवं संबंधित अभ्यास केंद्र से संपर्क कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सकता है।

प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा विश्वविद्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कराने के बाद ही उनका नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा एवं नामांकन संख्या प्रदान की जाएगी। यह संख्या उनके परिचय–पत्र पर अंकित की जाएगी, जो पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि तक मान्य होगी। नामांकन हेतु प्रपत्र विद्यार्थी द्वारा चुने गए अभ्यास–केंद्र से प्राप्त होगा। विद्यार्थी द्वारा भरा हुआ नामांकन प्रपत्र चुने गए अध्ययन–केंद्र द्वारा अग्रेषित होना आवश्यक है।

नामांकन प्रक्रिया :

1. विश्वविद्यालय अपने क्षेत्रीय केंद्रों / अभ्यास केंद्रों के माध्यम से विद्यार्थी मार्गदर्शिका एवं नामांकन पत्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाएगा।

2. अभ्यर्थी अर्हता संबंधी दस्तावेज को स्वयं प्रमाणित करेंगे तथा अपने अभ्यास केंद्र का चुनाव भी सुविधानुसार स्वयं करेंगे।

3. अभ्यर्थी पूर्णरूप से भरा आवेदन पत्र संबंधित दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं आवश्यक शुल्क के साथ चयनित अभ्यास केंद्र में निर्धारित तिथि के भीतर विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने हेतु जमा कराएंगे।

4. चयनित अभ्यर्थी को एक स्थाई पंजीयन संख्या एवं अभ्यास केंद्र उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यास केंद्र में आवंटित अभ्यर्थी की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट, दूर शिक्षा निदेशालय के क्षेत्रीय केंद्रों एवं संबंधित अभ्यास केंद्र में उपलब्ध होगी।

5. किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को आवंटित अध्ययन केंद्र को बदला नहीं जाएगा। सामान्यतः विश्वविद्यालय अभ्यर्थी को आवंटित अध्ययन केंद्र को अगले वर्ष भी जारी रखेगा, लेकिन असामान्य परिस्थिति में विश्वविद्यालय किसी अभ्यर्थी का आवंटित अध्ययन केंद्र बदल भी सकता है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय अभ्यर्थी एवं अध्ययन केंद्र की किसी शिकायत की सुनवाई नहीं करेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

अभ्यास केंद्र :

अभ्यास–केंद्र का चयन विद्यार्थी द्वारा किया जाएगा। विद्यार्थी स्वयं प्रवेश आवेदन–पत्र में अपने केंद्र का उल्लेख करेगा और उसी के अनुसार अभ्यास–केंद्र निर्धारित किया जाएगा। यदि किन्हीं कारणों से वांछित केंद्र का निर्धारण संभव नहीं होगा तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह विद्यार्थी के गृह जनपद के समीप का कोई अन्य अभ्यास–केंद्र, जहाँ विद्यार्थी द्वारा चयनित पाठ्यक्रम की सुविधा उपलब्ध हो, निर्धारित करे। छात्र द्वारा चयनित केंद्र में परिवर्तन की माँग सामान्यतः स्वीकार नहीं की जाएगी। विशेष परिस्थिति में किन्हीं औचित्यपूर्ण कारणों पर विचार किया जा सकेगा। प्रार्थना–पत्र पूर्व में चयनित अभ्यास–केंद्र के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।

परिचय पत्र * :

निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद विद्यार्थी को परिचय–पत्र जारी किया जाएगा। इस परिचय–पत्र में विद्यार्थी का नाम, पाठ्यक्रम का नाम, नामांकन संख्या आदि का उल्लेख किया जाएगा। किसी पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने की न्यूनतम/अधिकतम अवधि के दौरान परिचय पत्र खो जाने पर निर्धारित शुल्क देकर पुनः बनवाना अनिवार्य है। इसके लिए ₹ 100 का माँग पत्र जमा कराना होगा।

पाठ्यक्रम सत्र :

दूर शिक्षा निदेशालय सत्रीय/वार्षिक प्रणाली (Semester / Annual System) के आधार पर पाठ्यक्रम संचालित करेगा। हर विद्यार्थी को प्रदत्त अधिकतम अवधि के भीतर संबंधित पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करना होगा। इस अवधि में नामांकित वर्ष की भी गणना की जाएगी।

पाठ्य सामग्री का वितरण :

दूर शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी के अध्ययन की व्यवस्था परंपरागत विश्वविद्यालयों से भिन्न है। इस पद्धति की शिक्षा 'विद्यार्थी केंद्रित' है और इसकी सफलता विद्यार्थी के सक्रिय सहयोग एवं स्वाध्याय से ही संभव है। सामान्यतः परंपरागत प्रणाली में अध्यापक से विद्यार्थियों का सीधा संपर्क बनता है और इसी के माध्यम से उसे शिक्षा प्राप्त होती है। दूर शिक्षा प्रणाली में बहुआयामी व्यवस्था के माध्यम से कार्यक्रम के बारे में जानकारी विद्यार्थी को दी जाती है। इस हेतु विद्यार्थी को संबंधित अभ्यास/क्षेत्रीय केंद्र/विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, VMOU, कोटा, RTOU, इलाहाबाद द्वारा निर्मित उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण **ई-पाठ्यसामग्री अथवा मुद्रित पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित पाठ्यक्रम की पाठ्यसामग्री उपलब्ध न होने की स्थिति में संदर्भ ग्रंथों की सूची अथवा संबंधित पाठ्यक्रम का पाठ्यविवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।** इस संबंध में विश्वविद्यालय अभ्यर्थी एवं अभ्यास केंद्र की किसी शिकायत की सुनवाई नहीं करेगा।

प्रायोगिक एवं परियोजना कार्य :

प्रयोगात्मक कार्य अथवा परियोजना कार्य की व्यवस्था निर्धारित केंद्रों पर ही की जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी निर्धारित परीक्षा के पूर्व प्रयोगात्मक व परियोजना कार्य पूरा नहीं करता है, तो वह सत्रांत परीक्षा के लिए अर्ह नहीं होगा और अगली परीक्षा के प्रयोगात्मक कार्य के लिए निर्धारित शुल्क ₹ 250 प्रति प्रश्नपत्र अलग से पुनः जमा करना होगा।

सामान्य जानकारी :

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्राप्त होने वाले समस्त आवेदन पत्र/नामांकन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ अभ्यास केंद्र द्वारा विश्वविद्यालय में जमा किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन एवं शुल्क जमा करने पर अभ्यास केंद्र इसकी प्राप्ति–रसीद विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएगा। अभ्यास केंद्र से आशा की जाती है कि वे अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्र एवं शुल्क को समय से विश्वविद्यालय में जमा कराएँ। इसके, विश्वविद्यालय में देरी से जमा होने, इसकी सुरक्षा तथा अन्य नुकसान आदि के लिए अभ्यास केंद्र ज़िम्मेदार होगा। पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन तक प्रत्येक विद्यार्थी से आशा की जाती है कि वे सभी दस्तावेज़, शुल्क, विश्वविद्यालय एवं अभ्यास केंद्र द्वारा प्राप्त सूचना आदि की छायाप्रति संभाल कर रखें ।

आवेदन–पत्र भरने से पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट या विद्यार्थी मार्गदर्शिका में दिए गए दिशा–निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें।

- प्रवेश–आवेदन के साथ संलग्न होने वाले समस्त दस्तावेज़ स्वप्रमाणित हों। अपूर्ण, असत्यापित, अस्पष्ट, पूर्ण शैक्षिक एवं आवश्यक अर्हता न रखने वाले आवेदनों को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा।
- प्रवेश–आवेदन के साथ परिचय–पत्र को अनिवार्य रूप से भरकर भेजें।
- द्वितीय वर्ष के छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम आवेदन–पत्र को ही भरकर निर्धारित तिथि तक मुख्यालय में उपलब्ध कराएँ।
- क्रेडिट स्थानांतरण के अंतर्गत प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी इस हेतु निर्धारित तिथि तक आवेदन जमा कर सकता है। आवेदन में क्रेडिट स्थानांतरण का उल्लेख तथा उत्तीर्ण किए गए संबंधित पाठ्यक्रम की अंक तालिका संलग्न करना अनिवार्य है।
- आवेदक अपना नाम व अन्य विवरण सावधानीपूर्वक स्पष्ट रूप से यथापेक्षित हिंदी व अंग्रेज़ी में भरें। आवेदक द्वारा भरे गए विवरणानुसार ही अंक तालिका जारी की जाएगी। आवेदन में ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख अनिवार्य है, जिससे संबंधित सूचना तत्काल दी जा सके।
- छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रपत्र (जो लागू हो) में स्वयं द्वारा भरे हुए व स्वहस्ताक्षरित प्रवेश आवेदन–प्रपत्र एवं परीक्षा आवेदन–प्रपत्र ही स्वीकार्य हैं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले कोई भी दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किए जाएँगे। साथ ही उपर्युक्त में से कोई अभ्यास केंद्र संचालक के हस्ताक्षर व मुहर के बगैर प्राप्त होता है, तो संबंधित दस्तावेज़ निरस्त कर दिया जाएगा।
- संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय /महाविद्यालय/संस्थान की 10+2+3 शैक्षिक पद्धति ही स्वीकार्य है।
- आवश्यक दस्तावेज़ डाउनलोड करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindivishwa.org/distance पर लॉग ऑन करें। कोई भी नवीनतम/सामयिक/आधुनिकतम सूचना /दस्तावेज़ डाउनलोड करने से पूर्व संबंधित कड़ी (Link) को एक बार रिफ्रेश (Refresh) अवश्य करें। आवश्यकता पड़ने पर निदेशालय से निःशुल्क दूरभाष 18002331575 पर (सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक) संपर्क किया जा सकता है।
- विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों/पाठ्यक्रमों/परीक्षाओं/अन्य से संबंधित सूचनाएँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएँगी। अतः सभी विद्यार्थी व अभ्यास केंद्रों के संचालक नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित होने वाली सूचनाओं को भली–भाँति देखें व समझ लें, तदनुसार ही उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित होनेवाली नवीनतम सूचनाओं को अंतिम माना जाए।

- प्रत्येक पाठ्यक्रम में चयनित विद्यार्थी को संबंधित सत्र/वर्ष के सत्रीय/अनिवार्य कार्य जमा करने के बाद ही सत्रांत/वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।

छात्रवृत्ति सुविधा :

दिव्यांग तथा आरक्षित वर्ग के छात्रों को भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति का प्रावधान है। इस कोटि के विद्यार्थी छात्रवृत्ति हेतु संबंधित राज्य के संबंधित विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार आवेदन करें। पूर्ण एवं विधिवत रूप से भरे हुए आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में प्राप्त होने के पश्चात विभाग इस आवेदन पत्र को सत्यापित कर पुनः विद्यार्थी को प्रेषित करेगा, जिसे विद्यार्थी आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य के संबंधित विभाग में जमा कराएँगे। छात्रवृत्ति सुविधा की अधिक जानकारी राज्य का संबंधित विभाग/अभ्यास केंद्र से प्राप्त की जा सकती है।

परामर्श कार्यक्रम :

अभ्यास केंद्र द्वारा विद्यार्थी को शिक्षा–प्रशिक्षण हेतु समय–समय पर व्यक्तिगत कक्षाएँ/परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे, जिससे कि :

- विद्यार्थियों में आवश्यक दक्षता एवं स्वस्थ प्रतियोगिता के गुण विकसित हों ।
- अभ्यास केंद्र द्वारा निश्चित दिनों के अध्ययन के दौरान विद्यार्थी अपनी शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान खोज सकें।
- पर्यवेक्षक द्वारा जाँचे गए निर्दिष्ट कार्यों, प्रयोगों, परियोजना कार्यों तथा सत्रीय कार्य प्राप्त कर सकें एवं अभ्यास केंद्र में उपलब्ध पुस्तकों का अध्ययन कर सकें।
- अभ्यास केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थी की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित हो।
- विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे अपनी क्षमता निर्माण हेतु सभी परामर्श कार्यक्रमों में भाग लें। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस पाठ्यक्रम में इस कार्य के लिए निश्चित अवधि तय की गई है।

परामर्श और परीक्षा केंद्र :

यह आवश्यक नहीं है कि जहाँ विद्यार्थी ने परामर्श या प्रायोगिक घटकों का अध्ययन किया है, वहीं प्रायोगिक/सत्रांत परीक्षा का भी आयोजन हो। नियमित परामर्श सत्रों को विद्यार्थी सहायता केंद्रों में संचालित किया जाएगा।

विद्यार्थी के नाम/उपनाम में सुधार परिवर्तन :

विद्यार्थी को प्रवेश पत्र पर अपना सही नाम, जो कि उसके हाईस्कूल के प्रमाण पत्र पर अंकित है, ही लिखना है। यदि विद्यार्थी के नाम/उपनाम उसके हाईस्कूल के प्रमाण पत्र पर अंकित नाम से अलग है तो उसे इसका वैध साक्ष्य भी संलग्न करना होगा। नाम/उपनाम में परिवर्तन हेतु प्रवेश की पुष्टि होते ही विद्यार्थी–पंजीकरण–प्रभाग को भेजने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा –

1. दैनिक समाचार पत्र में नाम परिवर्तन की अधिसूचना की मूल प्रति।
2. नाम के परिवर्तन के संबंध में उचित मूल्य के स्टैंप पेपर पर पहली श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के सामने ली गई शपथ का मूल शपथ पत्र।
3. शादी का कार्ड, शादी का प्रमाण पत्र, यदि किसी महिला विद्यार्थी के उपनाम में परिवर्तन है।
4. नाम/उपनाम में परिवर्तन को प्रदर्शित करती हुई राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना की मूलप्रति। इस हेतु वित्ताधिकारी, मगांअंहिंवि के पक्ष में तथा वर्धा में देय ₹ 400/- का माँगपत्र जमा करना होगा। नाम/उपनाम में सुधार और/या परिवर्तन हेतु प्रार्थना, पाठ्यक्रम के समाप्त होने से पहले ही स्वीकार्य होगी।

पता परिवर्तन/सुधार* :

पता परिवर्तन हेतु संबंधित अभ्यास केंद्र के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार्य होगा। यह सामान्यतया 4–6 हफ्तों मे होता है। इसलिए इस अवधि के दौरान विद्यार्थी अपने पत्रों को नए पते पर प्राप्त करने का प्रबंध स्वयं करें।

अन्य जानकारी :

1. चूँकि यह पाठ्यक्रम दूर शिक्षा प्रणाली से संचालित है, इसलिए यह उस नियमित/परंपरागत प्रक्रिया द्वारा संचालित नहीं किया जाएगा, जैसे आप अब तक पढ़ते आए हैं।
2. इस पाठ्यक्रम के लिए आपको स्वयं अध्ययन करना होगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्धता के आधार पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ई–सामग्री/मुद्रित अध्ययन सामग्री/संदर्भ ग्रंथों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।
3. कृपया अपनी पाठ्य सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसे विशेष तौर पर स्वयं अध्ययन के लिए तैयार किया गया है। अपनी टिप्पणियाँ तैयार करें एवं उन खंडों को रेखांकित करें, जिसे आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। तत्पश्चात अध्ययन सामग्री में दिए गए निर्देशों के अनुसार उन्हें समझने का प्रयास करें।
4. आपके अभ्यास केंद्र द्वारा परामर्श सत्र आयोजित किए जाएँगे, जो आपकी समस्याओं/शंकाओं के समाधान हेतु होंगे।
5. परामर्श कार्यक्रमों में आप अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। निर्देशन के लिए आग्रह कर सकते हैं।
6. आपके अभ्यास केंद्र द्वारा आपके लिए प्रायोगिक परामर्श कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जहाँ आप अपने विषय के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते/सकती हैं।
7. कृपया अभ्यास केंद्र में आपके लिए तैयार किए गए पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाओं का प्रयोग उपलब्धता के आधार पर अवश्य करें।
8. आपके प्रायोगिक विषयों का आंतरिक मूल्यांकन आपके अभ्यास केंद्र पर किया जाएगा।
9. अपने अभ्यास केंद्र से ही अपनी परीक्षा तिथियों का विवरण, परिचय पत्र तथा परीक्षा प्रवेश पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं।
10. परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत आपका प्रमाण पत्र तथा परीक्षा परिणाम आपके अभ्यास केंद्र पर ही भेज दिया जाएगा।
11. परीक्षा तिथियों, परीक्षा परिणामों, प्रवेश पत्र इत्यादि से संबंधित जानकारी आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
12. वार्षिक सत्रीय कार्य/परियोजना कार्य/लघु शोध निबंध की वैधता सत्रीय कार्य के अपलोड होने से एक वर्ष तक होगी। उसके बाद प्राप्त सत्रीय कार्यों के मूल्यांकन के अंकों को अगली परीक्षा में शामिल किया जाएगा।

सत्रांत परीक्षा :

प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए	:	100 अंक
सत्रांत मूल्यांकन	:	प्रत्येक प्रश्नपत्र के सैद्धांतिक/प्रायोगिक कार्य के लिए 70 अंक निर्धारित है।
आंतरिक मूल्यांकन	:	निर्दिष्ट कार्यों के लिए आंतरिक मूल्यांकन में 30 अंक निर्धारित हैं। सभी निर्दिष्ट कार्य प्रत्येक विद्यार्थी को समय से जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी का अंतिम परीक्षा परिणाम उसके सभी सत्रों के अंकों तथा प्रस्तुति इत्यादि को जोड़कर प्रकाशित किया जाएगा।

पुनर्गणना* :

पुनर्गणना का अर्थ सत्रांत उत्तर पुस्तिकाओं में दिए गए अंकों की पुनर्गणना है। इसमें यह भी देखा जाएगा कि उत्तर पुस्तिका का कोई अंश बिना मूल्यांकित हुए छूट तो नहीं गया है। परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर इस हेतु आवेदन करना होगा तथा हर प्रश्न पत्र के लिए वित्ताधिकारी, मगांअंहिंवि, वर्धा के पक्ष में वर्धा देय ₹200/- का माँगपत्र आवेदन के साथ जमा करना होगा। पुनर्गणना की अवधि सामान्यतः आवेदन करने की अंतिम तिथि से एक माह होगी। अगर पुनर्गणना में

कोई परिवर्तन होता है, तो विश्वविद्यालय अधिक अंक को ही मान्यता देगा। नई अंक सूची बिना किसी शुल्क के विद्यार्थी को प्रदान की जाएगी।

यदि आप शुल्क जमा नहीं करते/करती हैं :

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के शुल्क नियमानुसार समय पर जमा न करने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट कार्य हेतु किए गए अनुरोध पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। अतः विद्यार्थी एवं अभ्यास केंद्र इस पर गंभीरता से ध्यान दें।

श्रेणी सुधार * :

किसी भी पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी, जो अपने पूर्व के परीक्षा परिणाम में सुधार लाने के इच्छुक हों, वे अलग से परीक्षा शुल्क जमा करके पुनः आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रमाण पत्र / डिग्री / डिप्लोमा निर्गत होने के पश्चात श्रेणी–सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इच्छुक विद्यार्थी श्रेणी–शुल्क ₹500 अतिरिक्त प्रति प्रश्नपत्र ₹300 जमा कर सकते हैं। यह अवसर मात्र एक बार दिया जाएगा। इस परीक्षा में यदि प्राप्तांकों में कोई परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय अधिक प्राप्तांकों को ही मान्यता देगा।

डिप्लोमा/डिग्री की प्रतिलिपि :

प्रत्येक प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन आवश्यक दस्तावेज सहित ₹500 के माँगपत्र के साथ पूर्व प्रक्रिया की भाँति भेजें।

नियमों में संशोधन :

दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की अकादमिक एवं प्रशासनिक गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आवश्यकता पड़ने पर किसी भी पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण में संशोधन या इससे जुड़े शुल्क विवरण में परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन, अद्यतन, किसी नियम में कुछ शामिल करने अथवा कमी करने का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। यह संशोधन वर्तमान में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट विद्यार्थियों के अलावा पूर्व में प्रवेशित छात्रों पर भी लागू होगा।

पुनः पंजीकरण* :

जो विद्यार्थी स्वीकृत अधिकतम अवधि के भीतर अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाते हैं, वे निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित अवधि से आगे पुनः पंजीकरण करा सकते हैं–

- पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन निर्धारित तिथि तक अभ्यास केंद्र या मुख्यालय, वर्धा को भेजें। पुनः पंजीकरण के लिए विद्यार्थी को अपूर्ण पाठ्यक्रम का पूर्ण शुल्क जमा करना होगा।
- यह सुविधा वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों के लिए मान्य होगी।
- पाठ्य विवरण में परिवर्तन की स्थिति में यह सुविधा नहीं दी जाएगी ।

क्षेत्राधिकार :

विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय के समस्त अकादमिक कार्यक्रमों एवं परीक्षा / वित्तीय / प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़े विवादों का क्षेत्राधिकार मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ (महाराष्ट्र) होगा।

* प्रारूप के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें।

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
दूर शिक्षा निदेशालय
अभ्यास केंद्र

सामान्य एवं प्रबंधन

ASSAM

1. Asom Rashtra Bhasha Prachar Samiti Sewa Mandir Path, Rupnagar Dist.-Kamrup, Assam-781032 Mob. No. 09435340285 / 03612463394

BIHAR

2. Bihar Acupressure Yoga College (BAYC Institute), Gandhi Setu Link Path, East of Biscoman Colony Golamber, Dist.- Patna - 800007 State-Bihar, Ph. No. 0612-2311997/9572607696
3. 185-B, S.K. Puri, Boring Road, Patna-800001, Bihar, Mob. No. 09386897634
4. Baba Vishwanath Kedarnath Vimala College, At & Post - Rampur Dudhpura Dist.- Samastipur, State - Bihar - 848101, Mob. No. 9308522455/7280023000
5. Dr. Zakir Husain Institute, Bailey Road, Hartali More Dist.-Patna, State-Bihar-800001, Mob. No. 09835020036
6. Nagendra Jha Mahila Mahavidyalaya Laheriasarai, Po. D.M.C. Dist.-Darbhanga State-Bihar-846003, Mob. No. 9430281697/06272-233657
7. Chanakya Institute of IT & Management (Unit of Chanakya Educational Trust) Near V.K.S. University, Ara, Katira Ara Dist.-Bhojpur Bihar -802301 Mob. No. 09939888032, 08877293618

CHHATISGARH

8. Dr. C.V. Raman University, Kargi Road, Kota, Dist.- Bilaspur State CG- 495113, Ph. No. 07753-253801
9. Shri Sai Baba Aadarsh Mahavidyalaya Banaras Road, Digma, Ambikapur Dist.-Surguja State-CG-497001, Mob. No.-09329532508/9926513170"
10. Shail Devi Mahavidyalaya Plot No. - 763, Vill.-Anda Dist.-Durg, CG-491221, Mob. No. 09993794359/0788-2982050
11. Indian College, Raipur Road, Belsonda, Dist.- Mahasamund State-CG-493445 Mob. 07587145303"

HARYANA

12. Shri Parshu Ram Senior Secondary School, V.P.O. Gangoli The. Safidon, Dist.- Jind State-Haryana-126113 Mob. No. 9215178365
13. Misri Devi Rehabilitation Centre, 1/441, Gali No. 9, Line Par, Vikas Nagar, Bahadurgarh-124507, Dist.-Jhajjar (Haryana) Mob. No. 9416228590/8053361084

JHARKHAND

14. Dr. Zakir Husain Institute, Line Tank Road, Near Hotel Lelac Dist.-Ranchi State-Jharkhand-834001 Mob. No. 9835022869
15. Gurukul, Court Road, Opp. S.P. Office B. Deoghar (Jharkhand) Dist.-Deoghar State-Jharkhand, Mob. No. 09835270575
16. Dr. Zakir Husain Institute, Chandra Centre, Near Sagar Restaurant, Sakchi, Dist.-Jamshedpur State-Jharkhand-834001, Mob. No. 09835026697

KARNATAKA

17. Nisarga National Rural & Agriculture Development, Shop # 9,10,11, 2nd Floor, Prabhu Complex, Vidyagiri Dist.-Dharwad State-Karnataka-580004, Mob.No.-09343882200/09886220038/0836-2465552

MIZORAM

18. Mizoram Hindi Training College, Durtlang North, Aizawl, Dist.-Aizawl State-Mizoram-796025, Mob. No.-9862647402

MAHARASHTRA

19. Shri Guru Govindsinghji Mahavidyalaya Zari, Vishnupuri Tah. Loha Dist.- Nanded - 431606, Maharashtra Mob. No. - 9527084777
20. Shri Guru Govind Singhji Patrakarita Mahavidyalaya, Opp.SBI Bank, Old NCC Office,Malegaon Road, Taroda (Kh), Nanded- 431605 (Maharashtra) Mob. 9325365666, 02462-262266
21. Mahatma Jotiba Fule Magasvargiya Bahuuddheshiya Society Bramhapuri, Dist.-Chandrapur, State-MS-441206, Ph. No.- 8412997210 / 9503423009 / 07177-273131
22. Desai Social Foundation, 550, Mahat Plot, Near Patangrao Kadam Banglow, South Shivaji Nagar, Sangli, Dist.-Sangli-416416 Maharashtra , Mob. No. 9423267997
23. Pride Institute, At.Arag Tal - Miraj, Dist.-Sangli-416101 Maharashtra Mob. No. 9763686207
24. Shree Shivaji Arts, Comm. & Science College, Rajura, Asifabad Road, At.Po. & Tq.-Rajura Dist.-Chandrapur State-Maharashtra-442905, Mob. No. - 9890018253, 07173-222215
25. Fairyland College Of Science and Commerce and Management Near Ganesh Temple, Bhadrawati Dist-Chandrapur Maharashtra-442902, Mob. No. 9766853666, 07175-268333
26. Smt. Maniben M.P. Shah Women's College of Art's & Commerce, 338 R.A. Kidwai Road, Matunga Dist.-Mumbai-400019 MS, Mob. No.-09920929532 / 9821371828
27. Aniket Shikshan Sanstha Devidkirti Technical College, Wadsa, (Desaiganj) Tq-Wadsa Dist-Gadchiroli Mob. No. - 09923418853
28. Navuvak Magasvargiya Bahuuddheshiya Shikshan Sanstha, Tq.-Sakoli Dist.-Bhandara, Maharashtra-441809, Mob. No. - 09923418853/7588191758

29. Vincent Apostolic Degree College 48, Kukde Layout, Nagpur-440027 State - Maharashtra, Ph. No. 0712-2742759/6549876"
30. Central India Institute of Mass Communication, 3 Ashirwad Theater Complex, Great Nag Road, Nagpur - 440003, Ph. No. 0712-645228,6452299,2020600, 2756666"
31. Vijendra Kabra College of Social Work, Aurangabad, In Front Samajik Nyay Bhavan, Banjara Colony, Khokadpura, Dist.-Aurangabad-431001, State-Maharashtra
32. Late Santukrao Khomane College, Mamadevi Complex, Old Mastagad, Dist.- Jalna-431203 Maharashtra, Mob.No. 9850032135/965712222
33. National Arts, Commerce & Science College Bharadi, At.Post-Bharadi, Tq. Sillod, Dist.-Aurangabad State-Maharashtra-431112, Mob. No.- 9423193231, 0240-281282
34. Dr. Milind Yerne College of Law, At. PostKosara (Kondha) Tah.Pauni Dist.- Bhandara-441908, MS Mob. No. 9405249027/09405249025

MADHYA PRADESH

35. NICE Institute, 1501/A, Maruti Bhawan, Yadav Colony, Garha Road, Dist.-Jabalpur State-MP-482002 Ph. No. 0761-4070192 / 4068888, Mob. No. 8602229999 / 9300251500"
36. Prime Computer Education Nageshwar Road, Petlawad Road, Badnawar, Dist.-Dhar-454660 State-MP Ph. No. -07295-232136 / 9893518183
37. Maya Devi Institute of Advance Education, Maya Devi Campus, Gram - Nagukhedi, Ujjain Road, Dist.- Dewas-455001 State-MP, Mob. No.-9826019190/07272-267286
38. Nea Computer Center, Pratap Colony, Behind Pratap Talkies, Dist.-Harda - 461331 State-MP, Mob. No. 9826816685 / 07577-223856
39. Himanshu Academy Ashta, 14, Gileti Kajipura, Dashara, Maidan Road, Ashta Dist.-Sehore State-MP-466116, Mob. No. 9893313417,9993183999/07560- 243701
40. Ambika Computers & Management Education, A.B. Road, Near Katthamill, Nohari, Dist.-Shivpuri (M.P.)-473551 Mob. No. 09425137120
41. Nalanda Institute For Computer and Vocational Training, 302, Juhi Plaza, 128 Kanchan Bag, Near Geeta Bhavan Square, Dist.-Indore - 452001 State-(MP) Mob. No. 09302105667
42. Gyandarshan Institute 121/2 Prakash Nagar Nagda Dist.-Ujjain State-MP-456335 Ph. No. 07366-241256, Mob. No. 9907536256
43. Shri Sai Mahavidyalaya, Main Road,Ward No. 11, Tah. Niwari Dist. - Tikamgad, MP, Mob. No. 09993313333
44. Janseva College of Education Prithvipur, Dist.-Tikamgarh, MP-472336, Mob. No. 09752749850 / 09111505439 / 07680-233054
45. Vision Computer Institute, 93, Main Road Shastri Nagar, Ratlam, MP Ph. No. 07412-408306/9827569877
46. Future Institute of Computer Science Near Petrol Pump, Amar Kantak Road, Anuppur, MP-484224, Mob. No. 9993461294/07659-222966
47. Smt. Savitridevi Institute of Computer Science Fawarka Chowk, Above Narmada Malwa Bank, Dist.-Burhanpur MP-450331, Mob. No. 09907019006,09039253316"
48. Faith Computer, 709, Gayatri Chhaya Building, West Ghamapur, Jabalpur, MP-482002 Mob. No. 9926304433/9806279279/ 0761-2628192
49. SCOPE Group of Institution SCOPE Campus, NH-12, Near Misrod, Hoshangabad Road, Dist.-Bhopal State-MP-462047 Ph. No. 0755- 2432909
50. Chitransh ADPG College Sector-A, Kasturba Nagar, Near Lake City Hospital, Dist.-Bhopal State-MP-462024, Ph. No. 0755-2600986/09993529404
51. Gyanodaya Institute of Computer & Management Education, Near SBI Behind Compound & Sharma Fules, Beside Old Maleria Office Civil Line, Dist.-Mandla State-MP-481661, Ph. No. 07642-251772 Mob. No. 9993367380
52. P.B.G.M. College, Near Bhopal Memorial Hospital, Karond, Dist.-Bhopal State-MP-462038, Ph. No. 0755-2970261/9425371820
53. Mangalam Social Welfare Society, A-15 Green Avenue Colony, Satai Road, Dist.- Chhatarpur, MP - 471001, Mob. No. 9425813678
54. Late shri Balbeer Singh Gautam Shiksha Prasar Avam Jankalyan Samiti, Satai Road, Pitra Chhaya Sadan, Dist.-Chhatarpur, MP - 471001, Ph. No. - 07682-241716/ Mob. No. 9993313333
55. Darshti The Vision Education And Rural Development, City Office, Parmar Meternity & Nursing Home, Near Ratan Place, Old Panna Naka, Dist.- Chhatarpur, MP - 471315, Mob. No. 9993551515
56. AISECT University, Village-Mendua, Post-Bhojpur, Bhopal-Chiklod Road, Dist.-Raisen State-MP- 464993, Ph. No. 0755-6766100 Mob. No. 9827012761
57. Gyan Shiksha Mahavidyalaya, Amrit Bhavan Indore and Mandu Road Dist.-Dhar, MP 454001, Mob. No. 9826545082

PUNJAB

58. Shree Satya Sai B.Ed. College VPO Karaiwala, The. Gidderbaha (Dist Sri Muktsar Sahib) Dist.-Muktsar State-Punjab-152112 Mob. No. - 09915044295
59. Sidana Institute of Education Khiala Khurd, Ram Tirath Amritsar, Punjab - 143109, Mob. No. - 09988461002 / 09888891002
60. Kanya Mahavidyalaya, Vidyalaya Marg, Dist.-Jalandhar State-Punjab - 144004 Ph. No. 9872604779/9417522232

RAJASTHAN

61. Siddheshwar Vinayak P.G. Arts College, Salumber Road, Dhariyawad, Dist.-Pratapgarh-313001 State-Rajasthan, Ph. No. 9928633855 / 9414353154

62. Rajasthan Gramothan & Sanskrit Anusandhan Sansthan, Shahpura, Baba Shyam Colony, Dist.-Jaipur, State-Rajasthan-303103, Mob. No. 09928305028
63. Mahrshi Walmiki College Joulana Teh.-Garhi, Dist.-Banswara State-Raj-327024 Mob. No. 09413272735
64. Aishwarya College of Education, Naya Gaon Road, Dist-Pali State-Rahasthan-306401 Ph. No. 0291-2760175 / 9828033916
65. Aishwarya College of Education, A-9, Extension-I, Kamla Nehru Nagar, Dist.- Jodhpur State-Rahasthan-342008 Ph. No. 0291-2760175 / 9828033916
66. Visvesvaraya Community College Tulsi Niketan, Sector-4, Main Road, Hiran Magri, Dist.-Udaipur State-Rajasthan-313002 Mob. No. 9829242332 / 9352900376

TELANGANA

67. Way School Of Management & Sciences 203, Concorde Apts, 6-3-658, Somajiguda, Hyderabad, State-Telangana-500082 Mob., No. 09985177707 / 09704523524 / 9849036023
68. Vivekananda College of Education, Sy No. 96, Gollapally(V), Chevella (M), R.R. Dist. T.S.-501503 Mob. No. - 09701872405

UTTAR PRADESH

69. Mishra Bandhu Mahavidyalaya, Belauhi, Lalpur Dist-Maharajganj State-UP Mob. No. - 09415282070, 08052110011
70. Jahangirbad Educational Trust Group of Institutions, Jahangirbad Fort, Jahangirbad Dist.-Barabanki, UP-225203 Mob. No. 7054476632 / 05248320800 / 995559490 / 9935-559490
71. Gyan Bharti Mahavidyalaya, P.O. Ragarganj Dist.-Kushinagar State-UP, Mob. No.- 09936450771 / 9936950771
72. Sheffield Business School Sector 21, 200 Indira Nagar, Dist.-Lucknow, UP-226016, Mob. No. 09935485740 / 05222716668
73. Smt Kesha Devi Mahila P.G. College, Vill+Po.-Pakaribirbhadra, Dist.-Deoria State-UP Mob. - 09919619702
74. Shiv Dulari Devi Dal Dapat Shashi Mahila Mahavidyalaya, Ahirauli, Kusumhi, Ramkola Dist.-Kushinagar State-UP-274305, Mob. No. - 9450538245 / 8858813533
75. Babua Jee Snatak Mahavidyalaya Vill+Post+Pindi, Lar, Salempur Dist.-Deoria State-UP 274508, Mob. No. 9415029910
76. Alltech Institute of Professional Studies Address - 31-C, MLN, Bund Road, Allahabad-211002, Mob. No. - 09415967882
77. Maharana Pratap Mahila Mahavidyalaya, Chandrapur, Laxmiganj, Dist.-Kushinagar State-UP-274306, Mob. No. - 9838308040 / 8934050444
78. Abhay P.G. College, Tarana, Koirajpur, Dist.-Varanasi State-UP-221005, Mob. No. 7309811111/7525000102
79. Jagran Institute of Management & Mass Communication, JIMMC, F-33, Sector-6, Noida-201301 UP Mob. No. 09899298851
80. Arya Mahila P.G. College, Chetganj Varanasi Dist.-Varanasi, State-UP-221001, Mob. No. 8004926100

बीएड

BIHAR

1. Puranmal Bajoria Teachers Training College, PBTT College Campus, Nargakothi, Champanagar, Dist.-Bhagalpur, State-Bihar-812004, Mob. No. 9471613075
2. L.N. Mishra College of Business Management, Bhagwanpur Chawk,Dist.-Muzaffarpur State-Bihar-842001, Mob. No. 9431013368

CHHATTISGARH

3. Indin College of Education Raipur Road, Belsonda, Mahasamund, CG-493445, Mob. No. 07587145303 Ph. No. 07723-299014

HARYANA

4. Haryana College of Education, Vpo.-Kinana Dist. - Jind State - Haryana-126102 Mob. No.9215178368 / 9215215559
5. Arya College of Education, Vill. Pall, P.O. Bairawas, Dist.- Mahindergarh State - Haryana-123028, Mob. No. 9416178365"
6. Bharat Vidya Peeth College of Education V.P.O-kasandi Teshil-Gohana, Dist.-Sonipat State - Haryana-131305 Mob. No.9215178368 / 9215215559
7. Gramin College of Education VPO.-Jamalpur Sheikhan, The.-Tohana Dist. - Fatehabad State - Haryana - 125120, Mob. No. -9215178368/9215215559

MAHARASHTRA

8. DDE, MGAHV, Wardha Prof. K. K. Singh, Director, Directorate of Distance Education Ph. No. 07152-247146
9. Swavalambi College of Education, Near Ganga Sagar Water Tank, Dhantoli, Wardha Mob. No. - 09850302199
10. Prabhakar Patil B.Ed. College, Near Gokuleshwar Temple, Veshvi Lake, Veshvi-Alibag Dist.-Raigad-402201 Mob. No. 09823553175
11. B.Ed. College Krushibhushan Dr. Tanajirao Chorage Education & Research Institute, Mandaki-Palvan, Tal-Chiplun Dist.-Ratnagiri (MS), Ph. No. - 02355-233136,233236,233117,233356
12. Matoshri Sayarbai Champalalji Chopda B.ed. College, Tank Road, Khamgaon Dist.-Buldana State-Maharashtra-444303, Mob. No. 9981215959/07263-256621

13. Yoshogatha Shikshan Prasarak Mandal Ramtekpura, Akot, Dist.-Akola - 444101 Mob. No. - 9850363939
14. Shantiniketan Women's College of Education, Near Uppalwadi Industrial Estate, Kamptee Road, Nagpur - 440026 Tel. 09657766740
15. Gulam Nabi Azad College of Education, Pusad, Dist.-Yavatmal Mob. No. 08149872803/8626054112
16. Mahatma Gandhi College of Education In Front Samajik Nyay Bhavan, Banjara Colony, Khokadpura, Dist.-Aurangabad-431001 State-Maharashtra Mob. No. 9923989309/ 0240-2342969
17. Shri Kisanrao Khobragade Shikshan Mahavidyalaya Palora Road Armori, Tq.-Armori, Dist.-Gadchiroli-441208 State-Maharashtra Mob. No.-942512434 / 07137266302

MADHYA PRADESH

18. Maya Devi Institute of Advance Education, Maya Devi Campus, Gram - Nagukhedi, Ujjain Road, Dist.- Dewas-455001 State-MP, Mob. No.-9424830512/9826019190
19. Anand Institute of Management, Ashirwar Nagar, Barkheda Nathu, Neelbad, Bhopal - 462044, Ph. No. 0755-6530277/9893544493
20. Gyan Shiksha Mahavidyalaya, Amrit Bhavan Indore and Mandu Road Dist.-Dhar, MP 454001, Mob. No. 9826545082
21. P.B.G.M. College, Near BMHRC, Karond Kalan, Bhopal - 462038 Mob. No. - 09450388116 Ph. No. 0755-2970261 / 9893484320
22. SECT College of Professional Education, Scope Campus, NH-12, Near Misrod, Hoshangabad Road, Dist.-Bhopal State-MP - 462047, Mob. No. 9425006146
23. Sri Sathya Sai College for Women, BHEL Hospital Road, Habibganj, Dist.-Bhopal State-MP-462026, Mob. No. 9893003202
24. Janseva College of Education Prithvipur, Dist.-Tikamgarh, MP-472336, Mob. No. 09752749850 / 09111505439

MIZORAM

25. Mizoram Hindi Training College, Durtlang North, Aizawl, Dist.-Aizawl State-Mizoram-796025, Mob. No.-9862647402

PUNJAB

26. Shree Satya Sai Educational Society, Shree Satya Sai B.Ed. College VPO Karaiwala The Gidderbaha (Dist Sri Muktsar Sahib), Pin Code-152112, Ph. No. - 01637-277428,277007/9915044295
27. Sidana Institute Of Education, Village Khiala Khurd, Near Ram Tirath Road, Amritsar Mob. No. 09988461002
28. Ramgarhia College Of Education Satnampura, Phagwara, Amritsar, Punjab - 144402, Ph.No.-01824-260448/9855449039

RAJASTHAN

29. B.R. Khokhar Memorial Shikshan Sansthan, Khatiyon ka Mohalla, Kuchaman City, Dist.-Nagour State-Rajasthan-341508, Mob. No. 9549110777/01586-223482
30. Shri Sawai T.T. College, Near Mega Highway, Deedwana, Dist.-Nagaur State-Rajasthan-341303, Mob. No. 9460273242
31. Dr. Radhakrishan Teachers Training College, Dedwana Road, Kuchaman City, Dist.-Nagour State-Rajsthan-341508, Mob. No. 9414433168
32. Tagore Sikshan Prashikshan Sansthan, Mirdha Nagour, Kuchaman City, Dist.-Nagour State-Rajsthan-341508, Mob. No. 9763067000
33. Siddheshwar Vinayak Teacher Training College, Salumber Road, Dhariyawad Dist.-Pratapgarh-313001, State-Rajasthan, Ph. No. 9928633855/9414353154
34. Rose Teacher's Training College, B-97-98, Jamuna Puri, Murlipura Scheme, Road No. 1, VKI, Jaipur, Dist.-Jaipur, State-Rajasthan, Mob. No. 9549656708/0141-2333956
35. Asha Devi College of Education, Khemana Road, Sadulpur Dist.-Chura (Raj.)- 331023 Mob. No. - 9413887455

TELANGANA

36. Vivekananda College of Education, Sy No. 96, Gollapally(V), Chevella (M), R.R. Dist. T.S.-501503, Mob. No. - 09701872405/9553933876/23530410

UTTARAKHAND

37. Shri Guru Ram Rai PG College, Pathri Bagh, Dist.-Dehradun State-UK - 248001 Mob. No. - 9412992800 / 0135-2624881

UTTAR PRADESH

38. Babua Jee Snatak Mahavidyalaya Vill+Post - Pindi Lar, Salempur Dist.Deoria State-UP-274508, Mob. No. 8543040452
39. Abhay P.G. College, Tarana, Koirajpur, Dist.-Varanasi State-UP-221005, Mob. No. 7309811111/7525000102
40. Sarswati Devi Mahavidyalaya Nandpar, Jaitpur, Gorakhpur, Mob. No. 9935287163/9793111887
41. Arya Mahila P.G. College, Chetganj Varanasi Dist.-Varanasi, State-UP-221001, Mob. No. 8004926100

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

ज्ञान शान्ति मैत्री

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा (महाराष्ट्र) - 442001

टोल फ्री क्र. 18002331575 ई-मेल : studentservicecentredde@gmail.com वेबसाइट : www.hindivishwa.org/distance

दूर शिक्षा निदेशालय
प्रवेश आवेदन-पत्र

अभ्यास केंद्र का नाम ________________

नामांकन संख्या :
(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

आवेदक अपना स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटो चिपकाएँ

महत्वपूर्ण निर्देश :

- आवेदन-पत्र भरने से पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट/मार्गदर्शिका पर उपलब्ध निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें।
- संपूर्ण पाठ्यक्रम-शुल्क एकमुश्त देय होगा। जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा।
- आवेदक अपना नाम व अन्य विवरण सावधानीपूर्वक स्पष्ट रूप से यथापेक्षित हिंदी व अंग्रेज़ी में भरें। आवेदक द्वारा भरे गए विवरणानुसार ही अंकतालिका जारी की जाएगी। मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी का उल्लेख अनिवार्य है।

माँगपत्र का विवरण :

जारीकर्ता बैंक	अदाकर्ता शाखा (Payable At) /आरआरएन	माँगपत्र/इनवाइस संख्या	दिनांक	राशि (₹)

1. पाठ्यक्रम का नाम : .... सत्र : ....

   कोड :

2. आवेदक का नाम : (हिंदी में) ....

   (अंग्रेज़ी के कैपिटल अक्षरों में)

3. पिता का नाम : (हिंदी में) ....

   (अंग्रेज़ी के कैपिटल अक्षरों में)

4. माता का नाम : (हिंदी में) ....

   (अंग्रेज़ी के कैपिटल अक्षरों में)

5. जन्मतिथि : (अंकों में) D D M M Y Y Y Y (शब्दों में) ....

   (10 वीं कक्षा के प्रमाण-पत्र के अनुसार)

6. आधार क्रमांक :

7. स्थायी पता (हिंदी में) ....

   .... थाना ....

   ज़िला .... राज्य .... पिन

   फोन (एसटीडी कोड सहित)

   मोबाइल ई-मेल ....

8. पत्राचार-पता (हिंदी में) ....

   .... थाना ....

   ज़िला .... राज्य .... पिन

   फोन (एसटीडी कोड सहित)

   मोबाइल ई-मेल ....

9. पत्राचार-पता (अंग्रेज़ी में)

   ज़िला

   राज्य पिन

   फोन (एसटीडी कोड सहित)

   मोबाइल ई-मेल ....

10. राष्ट्रीयता :

भारतीय	अन्य

11. लिंग :

स्त्री	पुरुष	अन्य

12. क्षेत्र :

शहरी	ग्रामीण

13. वैवाहिक स्थिति :

विवाहित	अविवाहित	अन्य

14. श्रेणी :
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

सामान्य	अजा	अजजा	ओबीसी	अन्य

15. रोज़गार स्थिति :

रोज़गार	बेरोज़गार

16. आवेदक की वार्षिक आय : ....

17. क्या आवेदक दिव्यांग है? यदि हाँ, तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

18. क्या आवेदक कोई छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है? यदि हाँ, तो विवरण उपलब्ध कराएँ।

19. शैक्षणिक योग्यताएँ (स्नातकोत्तर से प्रारंभ करें) : यदि स्थान कम हो तो शैक्षिक विवरण पृथक पृष्ठ पर संलग्न करें।

परीक्षा	विश्वविद्यालय/कॉलेज	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
स्नातकोत्तर							
स्नातक/समकक्ष							
हायर सेकेंडरी (10+2)							
दसवीं/हाईस्कूल							
डीएड (बीएड के लिए)							
अन्य							

20. कार्यानुभव : (कार्यानुभव प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है, यदि लागू हो, बीएड हेतु अनिवार्य)

क्र.	पदनाम एवं कार्य की प्रकृति	संस्थान का नाम	अवधि (कब से कब तक)

21. शिक्षण विषय (केवल बीएड हेतु) *विषय स्पष्ट करें।
(इसका चयन स्नातक / स्नातकोत्तर पर पढ़े विषय के आधार पर किसी एक पर ✓ करें।

भाषा* ☐ गणित ☐ विज्ञान* ☐ सामाजिक विज्ञान ☐ अन्य* ☐

22. घोषणा :

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता/चाहती हूँ, उससे संबंधित समस्त जानकारियों एवं योग्यताओं को मैंने समझ व जान लिया है। मैं संबंधित पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक योग्यता रखता/रखती हूँ तथा इसके लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कर रहा/रही हूँ। अगर कोई जानकारी गलत या भ्रामक पाई गई, तो विश्वविद्यालय किसी भी समय मेरे प्रवेश को निरस्त/रद्द कर सकता है। मैं, मेरे द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए किसी भी शुल्क को पुनः प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होऊँगा/होऊँगी। मैंने विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindivishwa.org पर उपलब्ध नियमों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और मैं इसे स्वीकार करता/करती हूँ, साथ ही भविष्य में नियमों को लेकर कोई विवाद नहीं करूँगा/करूँगी। आवेदन में दी गयी समस्त जानकारियाँ तथा उनके समर्थन में संलग्न दस्तावेज़ मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य हैं।

नोट : कृपया कॉलम क्र. 10-15 हेतु (✓) का निशान लगाएँ।

स्थान :
दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

23. **स्वप्रमाणित संलग्नक :**

I. माँगपत्र II. शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र (10+2+3) एवं डीएड (बीएड के लिए) III. अनुभव प्रमाणपत्र IV. स्थायी पता का प्रमाणपत्र V. आधार कार्ड

आवेदक लिफाफे पर " .... पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन" अवश्य लिखें। पूर्ण आवेदन-पत्र समस्त दस्तावेज़ व माँगपत्र के साथ निम्नलिखित पते पर प्रेषित करें - निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पोस्ट-हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा (महाराष्ट्र) - 442001

नोट : अपूर्ण, अस्पष्ट, शैक्षिक एवं आवश्यक अर्हता न रखने वाले आवेदनों को बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा।

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

परिचय - पत्र हेतु आवेदन

पाठ्यक्रम .... पाठ्यक्रम कोड .... सत्र 20 ....

1. आवेदक का नाम (हिंदी में) ....
   अंग्रेज़ी के बड़े (कैपिटल) अक्षरों में ....

2. पिता का नाम (हिंदी में) ....
   अंग्रेज़ी के बड़े (कैपिटल) अक्षरों में ....

3. माता का नाम (हिंदी में) ....
   अंग्रेज़ी के बड़े (कैपिटल) अक्षरों में ....

4. जन्म तिथि (अंकों में) .... शब्दों में ....

5. वर्ग/श्रेणी : (सामान्य / अनु. जाति / अनु. जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग)

6. पत्राचार का पता (हिंदी में) : ....
   ....
   ....

7. पत्राचार का पता (अंग्रेज़ी के बड़े (कैपिटल) अक्षरों में) : ....
   ....
   ....

8. दूरभाष / मोबाइल नं. : ....

9. ई-मेल आई-डी : ....

10. आधार क्रमांक : ....

तिथि :

प्रभारी के हस्ताक्षर

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग हेतु

श्री/श्रीमती/कु. .... से .... पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ शुल्क ₹ .... डी.डी. / पावती सं. .... दिनांक .... बैंक .... प्राप्त हुआ।

प्रवेश-प्रभारी / सहायक कुलसचिव

- **क्षेत्रीय केंद्र, इलाहाबाद**
  प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र
  महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
  24/28, सरोजिनी नायडू मार्ग
  इलाहाबाद - 211 001 (उ.प्र.)
  संपर्क : 0532-2424442

- **क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता**
  प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र
  महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
  ऐकतान, ईजेडसीसी, आईए-290, सेक्टर-3, साल्ट लेक
  कोलकाता - 700 091 (प.बं.)
  संपर्क : 033-23350144

- **विद्यार्थी सेवा केंद्र**
  दूर शिक्षा निदेशालय में पंजीकृत की सहायता एवं पाठ्यक्रमों से संबंधित किसी भी सुझाव / शिकायत एवं जानकारी के लिए विद्यार्थी सेवा केंद्र के ई-मेल studentservicecentredde@gmail.com पर लिखा जा सकता है।

- **अभ्यास केंद्र सहायता प्रकोष्ठ**
  दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थियों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं के निस्तारण हेतु ई-मेल studycentermgahv@gmail.com पर लिखा जा सकता है।

ज्ञान शांति मैत्री

दूर शिक्षा निदेशालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा (महाराष्ट्र)-442 001

टोल फ्री : 1800 233 1575

E-mail : studentservicecentredde@gmail.com

Website : www.hindivishwa.org/distance

विद्यार्थी मार्गदर्शिका शुल्क

सामान्य/अन्य पिछड़ावर्ग	₹200 (₹250 डाक द्वारा)
अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग	₹100 (₹150 डाक द्वारा)

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
ज्ञान शांति मैत्री

विनोद वैद्य
Vinod Vaidya
सहायक कुलसचिव : दूर शिक्षा निदेशालय
Assistant Registrar, Directorate of Distance Education

पत्रांक सं. 023/2019/सामान्य पाठ्यक्रम/05/2158
दिनांक : 03/04/2019

सूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी जनसूचना संख्या F.No.1-/06/2018(DEB-I) दिनांक 01.10.2018 के अनुसार दूर शिक्षा निदेशायलय को, विद्यार्थी मार्गदर्शिका में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त एम.ए. (समाजशास्त्र), एम.ए. (राजनीति विज्ञान) एवं एम.ए. (इतिहास) पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु मान्यता प्राप्त हुई है । उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के शुल्क का विवरण निम्नानुसार है-

क्र	पाठ्यक्रम	पात्रता	शिक्षण शुल्क	प्रवेश शुल्क	नामांकन शुल्क	परिचय पत्र शुल्क	परीक्षा शुल्क	उपाधि शुल्क	कुल पाठ्यक्रम शुल्क (रू में)
1	एम.ए. (समाजशास्त्र)	स्नातक	4000 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	2500	-	7000
			4000 (द्वितीय वर्ष)	-	-	-	2500	250	6750
2	एम.ए. (राजनीति विज्ञान)	स्नातक	4000 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	2500	-	7000
			4000 (द्वितीय वर्ष)	-	-	-	2500	250	6750
3	एम.ए. (इतिहास)	स्नातक	4000 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	2500	-	7000
			4000 (द्वितीय वर्ष)	-	-	-	2500	250	6750

उक्त पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता प्राप्त अभ्यास केंद्र विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त कर निदेशालय को अग्रषित कर सकते हैं।

वैद्य
(विनोद वैद्य)

पोस्ट- हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र)
Post- Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442001 (Maharashtra)
Website: www.hindivishwa.org
Email : ddeadmissionmgahv@gmail.com

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

ज्ञान शांति मैत्री

विनोद वैद्य
Vinod Vaidya
सहायक कुलसचिव : दूर शिक्षा निदेशालय
Assistant Registrar, Directorate of Distance Education

पत्रांक सं. 023/2019/सामान्य पाठ्यक्रम/05/2157
दिनांक : 03/04/2019

सूचना

विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णयानुसार सत्र 2019-20 में कंप्यूटर एप्लिकेशन मे स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDCA) एवं कंप्यूटर एप्लिकेशन मे डिप्लोमा (DCA) पाठ्यक्रमों को संचालित किया जाना है। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के शुल्क का विवरण निम्नानुसार है-

क्र	पाठ्यक्रम	पात्रता	शिक्षण शुल्क	प्रवेश शुल्क	नामांकन शुल्क	परिचय पत्र शुल्क	परीक्षा शुल्क	उपाधि शुल्क	कुल पाठ्यक्रम शुल्क (रू में)
1	कंप्यूटर एप्लिकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDCA))	स्नातक	5000	200	200	100	1000	250	6750
2	कंप्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा (DCA)	10+2	4250	200	200	100	1000	250	6000

उक्त पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता प्राप्त अभ्यास केंद्र विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त कर निदेशालय को अग्रषित कर सकते हैं।

(विनोद वैद्य)

पोस्ट- हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र)
Post- Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442001 (Maharashtra)
Website: www.hindivishwa.org
Email : ddeadmissionmgahv@gmail.com